



# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

## विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2018 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे जुबली हॉल, पालीवाल पार्क, आगरा में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये:-

डा० अरविन्द कुमार दीक्षित (अध्यक्ष) - कुलपति

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 2. डा० वाई०पी० सिंह           | 3. डा० बिन्दुशेखर शर्मा    |
| 4. डा० आर०के० सिंह            | 5. डा० वी०पी० सिंह         |
| 6. प्रो० एस०के० कठेरिया       | 7. डा० ब्रजेश कुमार        |
| 8. डा० वी०के० सारस्वत         | 9. प्रो० मनोज श्रीवास्तव   |
| 10. प्रो० दिवाकर खरे          | 11. डा० हेमा पाठक          |
| 12. डा० ए०के० राघव            | 13. डा० बहादुर सिंह        |
| 14. डा० नीता गुप्ता           | 15. डा० विपिन कुमार        |
| 16. डा० रत्नवीर सिंह          | 17. डा० अनिल कुमार वर्मा   |
| 18. प्रो० मीनाक्षी श्रीवास्तव | 19. डा० सुरेन्द्र सिंह     |
| 20. प्रो० हरबंस सिंह सोलंकी   | 21. डा० जी०के० गुप्ता      |
| 22. डा० ब्रजेश रावत           | 23. डा० के०पी० सिंह        |
| 24. डा० एस०सी० उपाध्याय       | 25. डा० दीपमाला श्रीवास्तव |
| 26. प्रो० आशा अग्रवाल         | 27. प्रो० वाई०पी० सिंह     |
| 28. डा० शशि वाला यादव         | 29. डा० अंचला गक्कर        |
| 30. प्रो० सुनन्दा खन्ना       | 31. डा० पीयूष त्यागी       |
| 32. डा० प्रदीप कुमार सिंह     | 33. डा० योगेश कुमार गोयल   |
| 34. प्रो० अजय तनेजा           | 35. डा० मनु प्रताप सिंह    |

*af*

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 36. डा0 संजय चौधरी      | 37. डा0 भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा |
| 38. डा0 यू0सी0 शर्मा    | 39. डा0 यू0एन0 शुक्ला          |
| 40. डा0 मन्जू लता शर्मा | 41. डा0 विनोद कुमार महेश्वरी   |
| 42. डा0 नीता            | 43. प्रो0 सुगम आनन्द           |
| 44. प्रो0 विनीता सिंह   | 45. डा0 रंजना गुप्ता           |
| 46. डा0 उमेश चन्द्र     | 47. डा0 राजीव कुमार            |
| 48. डा0 एम0सी0 वाष्णेय  | 49. डा0 एन0के0 सिंह            |

### कुलसचिव - सचिव

कुलसचिव द्वारा बैठक में उपस्थित हुये सभी माननीय विद्या परिषद् के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा उनके बैठक में उपस्थित होने पर आभार व्यक्त किया। कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय कुलपति जी के निर्देशन में परीक्षा कार्यक्रम की अवधि कम करते हुये 42 दिनों में परीक्षा पूर्ण करायी गई। इसी तरह भविष्य में सभी के सहयोग से और भी सुधार अपेक्षित है।

कुलपति जी द्वारा अपने सम्बोधन में अवगत कराया कि भविष्य में बैठकों को समय से सुचारू रूप से सम्पन्न करायी जाय। साथ ही कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय सरकार के अधीन चलने वाले संस्थान जैसे-FFDC (Fragrance & Flavors development Centre), MSME (Ministry of Micro, small & medium enterprises, Govt. of India) Kannauj एवम् National Jalma institute for leprosy and other Mycobacterial diseases, Taj Ganj, Agra (ICMR) के साथ MOU कर विश्वविद्यालय के Research Centre बनाने की अनुमति प्रदान की गई। परिषद् इससे अवगत हुई।

1. विद्या परिषद् के द्वारा अपनी बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।  
(परिशिष्ट-1)  
निर्णय:- विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।
2. वाणिज्य संकाय की बैठक दिनांक 16.08.2018 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।  
(परिशिष्ट-2)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा वाणिज्य संकाय की बैठक दिनांक 16.08.2018 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

*af*

3. कला संकाय की बैठक दिनांक 25.08.2018 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट -3)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की बैठक दिनांक 25.08.2018 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनमोदन प्रदान किया गया।

4. आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय की बोर्ड/फैकल्टी की बैठक दिनांक 13.04.2018 एवं 04.07.2018 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट -4)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय की बोर्ड/फैकल्टी की बैठक दिनांक 13.04.2018 एवं 04.07.2018 की संस्तुतियों को अनमोदन प्रदान किया गया।

5. विद्या परिषद् को कुलपति आदेश दिनांक 16.08.2018 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में C.B.C.S. प्रणाली लागू किये जाने से अवगत करना।

(परिशिष्ट -5)

निर्णय:- कुलपति आदेश दिनांक 16.08.2018 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में C.B.C.S. प्रणाली लागू किये जाने से विद्या परिषद् अवगत हुई।

6. विद्या परिषद् को कुलपति आदेश दिनांक 25.05.2018 के अनुपालन में विधि (Law) प्रवेश लेने हेतु अर्हता संशोधन से अवगत कराना।

(परिशिष्ट -6)

निर्णय:- कुलपति आदेश दिनांक 25.05.2018 के अनुपालन में विधि (Law) प्रवेश लेने हेतु अर्हता संशोधन से विद्या परिषद् अवगत हुई।

7. विद्या परिषद् द्वारा चिकित्सा संकाय के अध्ययन बोर्ड/कॉलेज काउन्सिल की बैठक दिनांक 02.07.2018 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट -7)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा चिकित्सा संकाय के अध्ययन बोर्ड/कॉलेज काउन्सिल की बैठक दिनांक 02.07.2018 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

*af*

8. विद्या परिषद् द्वारा शोध प्रस्तावित अध्यादेश-2016 (As per regulation 2016 एवम् शासनादेश संख्या 683/सत्तर-1-2015-16(74)/2011 दिनांक 28 अगस्त, 2015 के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट-8)

टिप्पणी:- "विश्वविद्यालय के पत्र संख्या- आर/82/2018, दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रस्तुत शोध अध्यादेश, 2016 को स्वीकृत नहीं हुआ है, इसलिये शोध-अध्यादेश, 2016 संशोधित कर प्रारूप को UGC Regulation, 2016 के प्राविधानों को समावेशित करते हुये पुनः प्रस्तावित किया जा रहा है।"

निर्णय:- सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित शोध अध्यादेश-2018 (आयोग विनियम 2016 तथा शासनादेश संख्या-7/2018/266/सत्तर-1-2018-16(74)/2011 दिनांक 24, अगस्त, 2018 के अनुरूप) के प्रारूप पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

9. विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 01.09.2018 की बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम संचालन करने के सम्बन्ध में बैठक की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट-9)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 01.09.2018 की बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम संचालन करने के सम्बन्ध में बैठक की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

### विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2018 का पूरक कार्यवृत्त

1. दीनदयाल ग्राम विकास संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा की Academic Committee की बैठक दिनांक 07.09.2018 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।


(परिशिष्ट-1)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा दीनदयाल ग्राम विकास संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा की Academic Committee की बैठक दिनांक 07.09.2018 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. Institute of Engineering & Technology, Khandari, Agra की Academic Committee की बैठक दिनांक 26.09.2018 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट-2)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Institute of Engineering & Technology, Khandari, Agra की Academic Committee की बैठक दिनांक 26.09.2018 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।



3. फार्मसी विभागाध्यक्ष डा0 ब्रिजेश कुमार तिवारी द्वारा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एण्ड पैरामैडिकल साइंस, खन्दारी, आगरा के अर्न्तगत नवीन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार करना।

(परिशिष्ट-3)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा फार्मसी विभागाध्यक्ष डा0 ब्रिजेश कुमार तिवारी द्वारा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एण्ड पैरामैडिकल साइंस, खन्दारी, आगरा के अर्न्तगत नवीन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. Chemistry की Academic Committee की बैठक दिनांक 26.09.2018 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना।


टिप्पणी:- "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा NSQF के अर्न्तगत Community college की योजना की रसायन विज्ञान विभाग को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें विभाग को सर्टीफिकेट कोर्स और Advance Diploma in "Food Analysis & Quality Assurance" इस सत्र में शुरू करने की योजना है, यू0जी0सी0 ने भी इस हेतु दिशा निर्देश जारी किये है जो दिनांक 13 सितम्बर, 2018 को जारी किया गया है। इस हेतु विभाग की विद्वत समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर को कर ली गई है। उनकी सिफारिशें आगामी 27 सितम्बर, 2018 की विश्वविद्यालय विद्वत परिषद् में रखे जाने हेतु अनुमति प्रदान करें। "

(परिशिष्ट-4)

निर्णय:- विद्या परिषद् Chemistry की Academic Committee की बैठक दिनांक 26.09.2018 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में कुलपति द्वारा अवगत कराया गया विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सेमिनार, संगोष्ठी इत्यादि का आयोजन करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, जो प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्राप्त होंगे, उन पर विचार कर उन्हें समुचित धनराशि आवंटित की जायेगी। इसके साथ ही कुलपति जी द्वारा परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अन्य बिन्दुओं पर भी माननीय सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया।

कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

  
कुलसचिव

  
कुलपति



# डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 21.12.2018 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 21.12.2018 को पूर्वान्ह 11:30 बजे जे०पी० सभागार, खन्दारी परिसर आगरा में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

डॉ० अरविन्द कुमार दीक्षित (अध्यक्ष) – कुलपति

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 2. प्रो० सुनन्दा खन्ना         | 3. प्रो० मीनाक्षी श्रीवास्तव |
| 4. प्रो० दीपमाला श्रीवास्तव    | 5. प्रो० मनोज श्रीवास्तव     |
| 6. प्रो० राजेश धाकरे           | 7. प्रो० दिवाकर खरे          |
| 8. प्रो० विनीता सिंह           | 9. प्रो० सुगम आनन्द          |
| 12. प्रो० प्रदीप श्रीधर        | 13. प्रो० अजय तनेजा          |
| 14. डॉ० सुजाता                 | 15. डॉ० के०पी० सिंह          |
| 16. डॉ० रनवीर सिंह             | 17. डॉ० बिन्दु शेखर शर्मा    |
| 18. डॉ० सुरेन्द्र सिंह         | 19. डॉ० यशपाल सिंह           |
| 20. डॉ० बी०पी० सिंह            | 21. डॉ० मंजू लता शर्मा       |
| 22. डॉ० ब्रजेश कुमार           | 23. डॉ० ए०के० राघव           |
| 24. डॉ० ब्रजेश रावत            | 25. डा० बहादुर सिंह          |
| 26. डॉ० विपिन कुमार            | 27. डॉ० वी०के० सारस्वत       |
| 28. डॉ० अनिल कुमार वर्मा       | 29. डॉ० एस०के० उपाध्याय      |
| 30. डॉ० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा | 31. डॉ० यू०एन० शुक्ला        |
| 32. डॉ० एन०के० सिंह            | 33. डॉ० मनु प्रताप सिंह      |
| 34. डॉ० वी०के० महेश्वरी        | 35. डॉ० सोमेश श्रीवास्तव     |
| 36. डॉ० सुमन कुमार             | 37. डॉ० संजय चौधरी           |
| 38. डॉ० एस०पी० मदनावत          | 39. डॉ० यू०सी० शर्मा         |

कुलसचिव – सचिव

कुलसचिव द्वारा आकस्मिक बैठक में उपस्थित हुए सभी माननीय विद्या परिषद् के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा उनके बैठक में उपस्थित होने पर आभार व्यक्त किया गया। कुलसचिव द्वारा आकस्मिक बैठक आहूत करने सम्बन्धी कार्य सूची के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया।

कुलपति जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि एकैडमिक कान्सिल के सदस्यों एवं अन्य सभी घटकों के सहयोग से जो कार्य विश्वविद्यालय में हुए हैं उनके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। विश्वविद्यालय की दशा एवं दिशा में सुधार हुआ है।

कुलपति जी के निर्देश पर कुलसचिव द्वारा राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई- 8888/03/जी०एस०/2017-X दिनांक 17.11.2017 के अनुपालन में तथा सामयिक आवश्यकता के अनुरूप विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेशों के निम्नांकित अध्यादेशों में संशोधन, विलोपन एवं संवर्धन किये जाने सम्बन्धी पत्र पर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अध्याय - XXXIV

संशोधन/संवर्धन/विलोपन

अध्यादेश - 1

संशोधन/संवर्धन

5(i)

विलोपन

5(B) (i)

विलोपन

5(B) (ii)

संशोधन/संवर्धन

परन्तुक 5(B) (ii)

संशोधन

5(C) (i) से 5(C) (iv) तक

संवर्धन

अध्याय XXXV

अध्यादेश 1(a)

संशोधन/संवर्धन

3

संशोधन/संवर्धन

अध्याय XXXVII

अध्यादेश 1

संशोधन/संवर्धन

अध्याय XXXIV

Examination B.A.

संशोधन

अध्याय XXXV

Examination B.Sc.

संशोधन

अध्याय XXXVIII

Examination B.Com

संशोधन

अध्याय XXXVIII

अध्यादेश 1

संशोधन


संकल्प :- विद्या परिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्तावित अध्यादेशों के संशोधन/विलोपन/संवर्धन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव द्वारा शासन की नीति अनुसार विश्वविद्यालयों में शोध गंगा एवं गंगोत्री पोर्टल पर विश्वविद्यालय में हो रहे शोध कार्य, शोध कार्य सम्बन्धी सिनोप्सिस एवं शोध पत्रों को अपलोड किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था पर चर्चा की गयी। विद्या परिषद् में यह निर्णय लिया गया कि आवासीय परिसर के शिक्षक अपने शोध कार्यों एवं शोध पत्रों को शासन के शोध गंगा एवं शोध गंगोत्री के पोर्टल पर अधिक से अधिक अपलोड करने का प्रयास करेंगे। प्रो० राजेश धाकरे एवं प्रो० अजय तनेजा द्वारा सुझाव दिया गया कि इस कार्य हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित करा लिया जाये ताकि प्लेरेरिज्म की पहचान की जा सके। सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए उक्त व्यवस्था हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाये। जिसके द्वारा शोध ग्रन्थों में प्लेरेरिज्म सम्बन्धी नीति का निर्धारण किया जा सके।

विद्या परिषद् की बैठक में विश्वविद्यालय में एकैडमिक सुधार हेतु अधिष्ठाता (शैक्षिक) के रूप में किसी आचार्य को पदास्थापित करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा हुयी।

  
(के०एन० सिंह)  
कुलसचिव

  
(अरविन्द कुमार दीक्षित)  
कुलपति



# डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

विद्या परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 19.06.2019 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद की आकस्मिक बैठक आज दिनांक 19.06.2019 को पूर्वान्ह 11 बजे खन्दारी परिसर स्थित जे०पी० सभागार पर सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

डॉ० अरविन्द कुमार दीक्षित – अध्यक्ष

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. प्रो० यू०सी० शर्मा            | 21. प्रो० पी०के० सिंह              |
| 2. प्रो० हेमा पाठक               | 22. प्रो० जैसवार गौतम लाल बिहारी   |
| 3. डॉ० अचला गक्खर                | 23. डॉ० अमिता गुप्ता               |
| 4. प्रो० मनोज श्रीवास्तव         | 24. प्रो० बृजेश रावत               |
| 5. प्रो० मो० अरशद                | 25. प्रो० दिन्दु शेखर              |
| 6. प्रो० बी०पी० सिंह             | 26. प्रो० लवकुश मिश्रा             |
| 7. प्रो० बी०डी० शुक्ला           | 27. डॉ० संत बहादुर सिंह            |
| 8. प्रो० हरवंश सोलंकी            | 28. प्रो० संजय चौधरी               |
| 9. प्रो० दीपमाला श्रीवास्तव      | 29. डॉ० यशपाल सिंह                 |
| 10. डॉ० एस०के० अवस्थी            | 30. प्रो० सुगम आनन्द               |
| 11. प्रो० बी०के० सारस्वत         | 31. डॉ० मंजू लता शर्मा             |
| 12. प्रो० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा | 32. डॉ० उमेश चन्द्रा               |
| 13. प्रो० अनिल कुमार वर्मा       | 33. प्रो० शरद चन्द उपाध्याय        |
| 14. प्रो० संजीव कुमार            | 34. प्रो० के०पी० सिंह              |
| 15. डॉ० रनवीर सिंह               | 35. डॉ० विनोद कुमार माहेश्वरी      |
| 16. प्रो० दिवाकर खरे             | 36. डॉ० रेनू अग्रवाल (एस०एन०आगरा)  |
| 17. प्रो० एम०के० उपाध्याय        | 37. डॉ० प्रशान्त सिंह (एस०एन०आगरा) |
| 18. प्रो० अजय तनेजा              |                                    |
| 19. प्रो० आशा अग्रवाल            |                                    |
| 20. प्रो० विनीता सिंह            |                                    |

श्री के० एन० सिंह – कुलसचिव – सचिव

बैठक में डॉ० ओम प्रकाश, परीक्षा नियंत्रक भी उपस्थित थे।

कुलसचिव द्वारा सर्वप्रथम कुलपति जी की ओर से बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया तथा आकस्मिक बैठक को आहूत करने का औचित्य बताया गया। कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि मैडिकल के 01 छात्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को चुनौती दी गयी थी। माननीय न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे।

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि पहले मैडिकल की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्राइवेट कॉलेजों के अध्यापकों द्वारा कराया जाता था। अब उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एस0एन0 मैडिकल कॉलेज, आगरा एवं अन्य शासकीय चिकित्सीय महाविद्यालयों द्वारा कराया जा रहा है।

कई प्रकरणों में छात्र उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं। एक छात्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्राप्त अंकों के विरुद्ध याचिका योजित की गयी थी। जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन किये जाने की सुविधा का निर्णय लिया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा चैलेंज मूल्यांकन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जो कि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू है। इसी व्यवस्था को लागू करने के लिए आज की बैठक आहूत की गयी है। इसके साथ ही कुलसचिव को बैठक प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

**मद संख्या 1 –** विद्या परिषद द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 28.05.2019 के मद संख्या 05 के निर्णय को लागू करने पर विचार।  
परीक्षा समिति का निर्णय निम्नवत है :-

“छात्र चैलेंज मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से दो माह के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, उसके उपरान्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) हेतु दो विषय विशेषज्ञ मा0 कुलपति द्वारा नामित किये जायेंगे। अन्य विश्वविद्यालय की भाँति चैलेंज मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन शुल्क रू0 3000/- और मेडिकल कोर्सों के चैलेंज मूल्यांकन हेतु शुल्क 5000/- रुपये निर्धारित किया गया। जिसमें छात्र को मूल्यांकन में 15 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होते हैं तो छात्र/छात्रा की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी, और यदि अधिक अंक आते हैं तो प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर छात्र को प्रोसेसिंग फीस 500/- और मेडिकल छात्र की प्रोसेसिंग फीस रू0 1000/- कटौती पर शेष धनराशि छात्र को वापिस की जायेगी। साथ ही मूल्यांकन में 25% या 25% से अधिक का अन्तर आता है तो परीक्षक को स्पष्टीकरण हेतु पत्र जारी किया जाये और साथ ही दण्ड भी निश्चित किया जाये।”

**निर्णय –**

विद्या परिषद द्वारा सर्व सम्मति से परीक्षा समिति के निर्णय का सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वेब साइट पर परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के लिए ऑन लाइन प्रार्थना पत्र दिया जायेगा। प्राप्तांक के 15 प्रतिशत से कम अंक होने पर छात्र द्वारा जमा की गयी धनराशि वापिस नहीं की जायेगी एवं अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

विद्या परिषद द्वारा परीक्षा समिति की संस्तुति को स्वीकार किया गया। परिषद ने चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) को और अधिक स्पष्ट रूप में लागू करने हेतु निम्नवत संस्तुति प्रदान किया :-

1. चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के लिये परीक्षार्थी ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) के लिए मैडिकल परीक्षार्थी को ऑन लाइन रू0 5000/- प्रति प्रश्न पत्र शुल्क के रूप में जमा करना होगा। मैडिकल के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को रू0 3000/- प्रति प्रश्न पत्र ऑन लाइन जमा करना होगा।
3. प्रत्येक प्रश्न पत्र के चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) हेतु कुलपति जी द्वारा सम्बन्धित विषयों के दो विषय विशेषज्ञ नामित किये जायेंगे।

4. चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) में दोनों परीक्षकों द्वारा दिये गये अंकों का औसत यदि 15 प्रतिशत से अधिक हो तो अंकों में बढोत्तरी का लाभ परीक्षार्थी को देय होगा। किन्तु 15 प्रतिशत अथवा उससे कम का औसत होने पर उसे बढे हुये अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे। दोनों परीक्षकों के प्राप्तांक यदि 25 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में कुलपति जी द्वारा तीसरे परीक्षक को नियुक्त किया जायेगा। इस प्रकार तीनों परीक्षकों द्वारा दिये गये अंकों का औसत जो भी होगा परीक्षार्थी को देय होगा।
5. चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) में यदि मूल प्राप्तांक के 15 प्रतिशत या उससे कम की वृद्धि होती है तो जमा शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
6. चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) से यदि परीक्षार्थी के प्राप्तांक में से 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो मैडिकल परीक्षार्थी के जमा शुल्क रू0 5000/- में से रू0 1000/- की कटौती तथा मैडिकल के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी के जमा धनराशि रू0 3000/- में से रू0 500/- की कटौती करके शेष धनराशि वापिस कर दी जायेगी।

### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

मद संख्या 01 – परिषद द्वारा मैडिकल कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन लाइन मूल्यांकन कराये जाने पर विचार किया जाना।

निर्णय – परिषद के सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मैडिकल की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन लाइन मूल्यांकन किये जाने की व्यवस्था पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 02 – ललित कला संस्थान की अकादमिक समिति की बैठक दिनांक 19.04.2019 की संस्तुतियों पर विचार किया जाना।

निर्णय – परिषद द्वारा ललित कला संस्थान की अकादमिक समिति की बैठक दिनांक 19.04.2019 की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

  
कुलसचिव

  
19/6/2019  
कुलपति



# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

## विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 31.07.2019 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 31.07.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे जे०पी० सभागार, खन्दारी परिसर आगरा में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

डा० अरविन्द कुमार दीक्षित (अध्यक्ष) - कुलपति


- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 2. डा० विवेक द्विवेदी           | 3. डा० जयप्रकाश सिंह         |
| 4. डा० वाई०पी० सिंह             | 5. प्रो० बी०पी० सिंह         |
| 6. डा० के०के० शर्मा             | 7. डा० एस०के० कठेरिया        |
| 8. डा० हेमा पाठक                | 9. डा० नीता गुप्ता           |
| 10. प्रो० मनोज कुमार श्रीवास्तव | 11. डा० सुमन कुमार           |
| 12. डा० प्रताप सिंह             | 13. प्रो० दीपमाला श्रीवास्तव |
| 14. डा० के०पी० सिंह             | 15. डा० यशपाल सिंह           |
| 16. डा० आर०के०एस० धाकरे         | 17. डा० अलका अग्रवाल         |
| 18. डा० मंजूलता शर्मा           | 19. डा० विपिन कुमार          |
| 20. प्रो० हरबंस सिंह सौलकी      | 21. डा० पीयूष त्यागी         |
| 22. प्रो० मीनाक्षी श्रीवास्तव   | 23. प्रो० विनीता सिंह        |
| 24. डा० यदुवीर सिंह चौहान       | 25. प्रो० वी०के० सारस्वत     |
| 26. प्रो० मनुप्रताप सिंह        | 27. डा० आर०के० सिंह          |
| 28. डा० जी०के० गुप्ता           | 29. प्रो० यू०एन० शुक्ला      |
| 30. डा० एन०के० सिंह             | 31. डा० अनिता गुप्ता         |
| 32. डा० झिलमिल गुप्ता           | 33. प्रो० मोहम्मद अरशद       |
| 34. प्रो० यू०सी० शर्मा          | 35. प्रो० अजय तनेजा          |

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 36. डा0 जैसवार गौतम लाल बिहारी | 37. प्रो0 संजय चौधरी             |
| 38. प्रो0 ब्रजेश कुमार         | 39. प्रो0 भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा |
| 40. प्रो0 अनिल कुमार वर्मा     | 41. डा0 रनवीर सिंह               |
| 42. डा0 सुकेश कुमार            | 43. प्रो0 सुनन्दा खन्ना          |
| 44. प्रो0 अचला गक्कर           | 45. प्रो0 एम0के0 उपाध्याय        |
| 46. प्रो0 पी0के0 सिंह          | 47. प्रो0 बिन्दुशेखर शर्मा       |
| 48. प्रो0 एस0सी0 उपाध्याय      | 49. प्रो0 प्रदीप श्रीधर          |
| 50. प्रो0 ब्रजेश रावत          | 51. डा0 ब्रजेश्वर दत्त शुक्ला    |
| 52. प्रो0 आशा अग्रवाल          | 53. डा0 सन्त बहादुर सिंह         |
| 54. प्रो0 महरूफ मिर्जा         | 55. प्रो0 सुविज्ञा अवस्थी        |
| 55. डा0 पुनीता महेश्वरी        | 56. डा0 उमेश चन्द्रा             |

कुलसचिव - सचिव

कुलसचिव द्वारा बैठक में उपस्थित हुये सभी माननीय विद्या परिषद् के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा आज की बैठक को बुलाने के सम्बन्ध में संक्षेप में जानकारी दी तत्पश्चात् कुलपति जी से परिषद् को सम्बोधित करने का आग्रह किया। कुलपति द्वारा अपने संक्षिप्त उद्बोधन के द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया कि गत वर्षों में विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण में सुधार हुआ है तथा विश्वविद्यालय ने अपनी प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाया है और विश्वविद्यालय प्रगति की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उक्त उद्बोधन के बाद कुलपति जी द्वारा बैठक प्रारम्भ करने की औपचारिक अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व कुलसचिव द्वारा बाह्य विशेषज्ञ के रूप में बैठक में उपस्थित प्रो0 महरूफ मिर्जा, कुलपति, ख्वाजा एम0 चिश्ती उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ, प्रो0 सुविज्ञा अवस्थी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवम् डा0 विवेक द्विवेदी, प्राचार्य, बी0एन0डी0 कॉलेज कानपुर का बैठक में शामिल होने के लिए विशेष रूप से स्वागत किया तथा आभार व्यक्त करते हुये परिषद् को अवगत कराया कि आपके महत्वपूर्ण सुझावों से विश्वविद्यालय को एक नयी दिशा मिलेगी।



1. विद्या परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 27.09.2018, आकस्मिक बैठक दिनांक 21.12.2018 एवं दिनांक 19.06.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि करना।

(परिशिष्ट-1)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 27.09.2018, आकस्मिक बैठक दिनांक 21.12.2018 एवं दिनांक 19.06.2019 के कार्यवृत्तों को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. प्राचार्य, आर0बी0एस0 कालेज के पत्र दिनांक 25.09.2018 के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) स्कीम के अर्न्तगत महाविद्यालय द्वारा निम्न पाठ्यक्रमों को संचालित करने के अनुमोदन पर विचार करना:-

<u>Programme/Courses</u>	
<u>B.Voc.</u>	<u>Community College</u>
1. Multimedia Animation and Graphic Design	1. Plant Nursery & Propagation Tech.
2. Nutrition and Health Case Sci.	2. Green House Tech.
3. Analytical Instrumentation	3. Holistic and Sustainable Agriculture
	4. Dairy Products

(परिशिष्ट-2)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा फार्मैसी एण्ड पैरामैडिकल साइंसेज, खन्दारी आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 14.07.2019 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट-3)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा फार्मैसी एण्ड पैरामैडिकल साइंसेज, खन्दारी आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 14.07.2019 की केवल अध्यादेश को अनुमोदन प्रदान कया गया। प्रशासनिक संस्तुतियों पर अलग से कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

4. विद्या परिषद् द्वारा भौतिक विज्ञान विभाग, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 30.07.2016, 10.11.2017 एवं 12.10.22018 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट -4)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा भौतिक विज्ञान विभाग, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 30.07.2016, 10.11.2017 एवं 12.10.22018 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।



.....4

5. विद्या परिषद् को नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति विभाग के पत्र दिनांक 22.07.2019 से अवगत कराना।

(परिशिष्ट -5)

निर्णय:- विद्या परिषद् निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति की नियमावाली से अवगत हुई एवम् अंगीकृत किया गया।

6. विद्या परिषद् द्वारा एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा की बोर्ड ऑफ स्टडीज एवं कालेज काउन्सिल की बैठक दिनांक 24.07.2019 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट -6)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा की बोर्ड ऑफ स्टडीज एवं कालेज काउन्सिल की बैठक दिनांक 24.07.2019 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन प्रदान किया गया।

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 31.07.2019 का पूरक कार्यवृत्त

1. विद्या परिषद् द्वारा आई0ई0टी0 संस्थान, खन्दारी परिसर की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 17.06.2019 एवं 22.06.2019 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट -1)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा आई0ई0टी0 संस्थान, खन्दारी परिसर की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 17.06.2019 एवं 22.06.2019 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. निदेशक, ललित कला संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से 'The Rights of Persons with Disabilities act 2016' के अधिनियम 16(v),17(F),17(i) में वर्णित व्यवस्था को विश्वविद्यालय में अंगीकृत करते हुये बी0एफ0ए0 प्रथम वर्ष की छात्रा को Appropriate Language (English) में प्रथम सैमिस्टर का एक पेपर देने की अनुमति प्रदान करने पर विचार।

(परिशिष्ट -2)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।



3. विद्या परिषद् द्वारा आई0टी0एच0एम0, खन्दारी परिसर, खन्दारी आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 06.06.2019 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट -3)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा आई0टी0एच0एम0, खन्दारी परिसर, खन्दारी आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 06.06.2019 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. विद्या परिषद् द्वारा इतिहास एवं संस्कृति विभाग, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 30.07.2019 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट -4)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा इतिहास एवं संस्कृति विभाग, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 30.07.2019 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. विद्या परिषद् द्वारा रसायन विज्ञान विभाग, खन्दारी परिसर, खन्दारी, आगरा एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 26.04.2019 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट -5)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा रसायन विज्ञान विभाग, खन्दारी परिसर, खन्दारी, आगरा एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 26.04.2019 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. विद्या परिषद् द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 23.07.2019 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट -6)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 23.07.2019 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

1. विद्या परिषद् अगले सत्र से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में इन्टीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम (Integrated Teachers Training Programme) प्रारम्भ किये जाने से अवगत हुई।



2. कुलसचिव के अनुरोध पर कुलपति द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के ललित कला भवन को ध्वस्त कर एक नये भवन का निर्माण किया गया है, जो लगभग पूर्ण होने वाला है। विश्वविद्यालय की योजना एवम् सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24.07.2019 में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त भवन में निम्न नये संस्थान प्रारम्भ किये जाये, जिनके अन्तर्गत विभिन्न ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाय, जिनसे विश्वविद्यालय का विकास हो और विश्वविद्यालय को नयी पहचान मिले। समिति द्वारा निम्न संस्थानों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

1. अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकारिता संस्थान।
  2. इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट।
- उपरोक्त प्रस्ताव को यथावत् स्वीकृति प्रदान की गई।

3. निदेशक, आई0ई0टी0, खन्दारी परिसर, खन्दारी, आगरा को All India Council for Technical Education नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.04.2019 के द्वारा Engineering and Technology Management/IT/ITES & Engineering and Technology (All Bachelor of Vocation(B.Voc) पाठ्यक्रमों को संचालित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(परिशिष्ट-1)

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

  
कुलसचिव

  
31/7/2019  
कुलपति





# डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

विद्या परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 18.10.2019 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 18.10.2019 को मध्याह्न 01:00 बजे जे०पी० सभागार, खन्दारी परिसर आगरा में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

डॉ० अरविन्द कुमार दीक्षित (अध्यक्ष) – कुलपति

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 2. प्रो० सुनन्दा खन्ना         | 3. प्रो० मीनाक्षी श्रीवास्तव |
| 4. प्रो० दीपमाला श्रीवास्तव    | 5. प्रो० मनोज श्रीवास्तव     |
| 6. डॉ० नीता गुप्ता             | 7. प्रो० दिवाकर खरे          |
| 8. प्रो० विनीता सिंह           | 9. प्रो० हेमा पाठक           |
| 10. प्रो० प्रदीप श्रीधर        | 11. प्रो० अजय तनेजा          |
| 12. डॉ० अचला गक्खर             | 13. डॉ० के०पी० सिंह          |
| 14. डॉ० रनवीर सिंह             | 15. डॉ० बिन्दु शेखर शर्मा    |
| 16. डॉ० सन्त बहादुर सिंह       | 17. डॉ० यशपाल सिंह           |
| 18. डॉ० बी०पी० सिंह            | 19. प्रो० आशा अग्रवाल        |
| 20. डॉ० ब्रजेश कुमार           | 21. डॉ० सर्वेश यादव          |
| 22. डॉ० ब्रजेश रावत            | 23. डा० प्रताप सिंह          |
| 24. डॉ० विपिन कुमार            | 25. डॉ० बी०डी० शुक्ला        |
| 26. डॉ० अनिल कुमार वर्मा       | 27. डॉ० एम०के० उपाध्याय      |
| 28. डॉ० स्मिता श्रीवास्तव      | 29. डॉ० यू०एन० शुक्ला        |
| 30. डॉ० एन०के० सिंह            | 31. डॉ० मनु प्रताप सिंह      |
| 32. प्रो० हरवंश सिंह           | 33. डॉ० सोमेश श्रीवास्तव     |
| 34. डॉ० गौतम लाल बिहारी जैसवार | 35. डॉ० दिव्या श्रीवास्तव    |
| 36. प्रो० संजीव कुमार          | 37. डॉ० यू०सी० शर्मा         |
| 38. डॉ० नमिता रॉय              | 39. प्रो० एस०सी० उपाध्याय    |
| 40. प्रो० एस०बी० शर्मा         | 41. प्रो० मो० अरशद           |
| 42. डॉ० पुनीता माहेश्वरी       | 43. प्रो० पी०के० सिंह        |
| 44. डॉ० मंजू लता शर्मा         | 45. डॉ० अलका अग्रवाल         |
| 46. डॉ० के०के० शर्मा           | 47. डॉ० नीता                 |
| 48. प्रो० एस०के० कठारिया       |                              |

कुलसचिव – सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा आकस्मिक बैठक में उपस्थित हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा उनके बैठक में उपस्थित होने पर आभार व्यक्त किया गया। कुलपति जी द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा गत वर्ष 11th डीन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में निर्देश दिये थे परन्तु किन्हीं कारणोंवश यह रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। चूंकि इस रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है ताकि आई०सी०ए०आर० के अनुसार सेमेस्टर सिस्टम लागू हो सके। इसका लाभ छात्र/छात्राओं को मिल सकेगा।

पाठ्यक्रम कुलसचिव द्वारा आकस्मिक बैठक आहूत करने सम्बन्धी कार्य सूची के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया।

मद संख्या 1 – कृषि संकाय की बैठक दिनांक 17.10.2019 के अनुसार स्नातक स्तर पर 1.बी0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार करना एवं 2. एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) पाठ्यक्रम पर अनुमोदन पर विचार।

संकल्प :- 1. विद्या परिषद द्वारा कृषि संकाय की बैठक दिनांक 17.10.2019 के अनुसार स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर सम्यक विचारोपरान्त यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) Semester System पाठ्यक्रम के संलग्न प्रस्ताव पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया।

### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

1. कुलपति जी के निर्देश पर विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि एम0फिल0/पीएच0डी0 डिग्री आर्डिनेंस 2018 यू0जी0सी0 एवं शासन के निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा लागू किया जा चुका है।

विद्या परिषद ने उक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

2. एम0फिल0/पीएच0डी0 डिग्री आर्डिनेंस 2018 के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी प्लेजेरिज्म कमेटी (Plagiarism Committee) थीसिस एवं डिजिटेशन को लागू करने पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्न)

3. कुलपति जी के निर्देश पर कुलसचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) का अध्यादेश माननीय कुलाधिपति जी द्वारा अवलोकित कर लिया गया है। अध्यादेश में परीक्षाफल घोषित होने के तीस दिनों के भीतर चुनौती मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का प्रावधान है। कार्य परिषद द्वारा परीक्षा वर्ष 2019 के छात्र/छात्राओं को चुनौती मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र भरने हेतु एक माह (20 नवम्बर 2019 तक) का समय प्रदान किया गया। साथ में यह भी निर्देश दिया गया कि आगामी सत्र से अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

विद्या परिषद द्वारा उक्त से सहमत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

  
(के0एस0 सिंह)  
कुलसचिव

  
(अरविन्द कुमार दीक्षित)  
कुलपति



# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

## विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 26.06.2020 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 26.06.2020 को सांय: 04:00 बजे जे०पी० सभागार, खन्दारी परिसर आगरा में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

### प्रो० अशोक मित्तल (अध्यक्ष) - कुलपति

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 2. प्रो० प्रदीप श्रीधर        | 3. प्रो० मनु प्रताप सिंह         |
| 4. डा० ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह | 5. प्रो० एम०के० उपाध्याय         |
| 6. प्रो० सुनन्दा खन्ना        | 7. प्रो० अंचला गक्कर             |
| 8. प्रो० हरबंस सिंह सौलकी     | 9. प्रो० बिन्दुशेखर शर्मा        |
| 10. डा० आर०के० अग्निहोत्री    | 11. प्रो० संजय चौधरी             |
| 12. डा० बी०डी० शुक्ला         | 13. डा० मोहम्मद हुसैन            |
| 14. प्रो० एस०के० कठेरिया      | 15. डा० के०पी० सिंह              |
| 16. डा० रनवीर सिंह            | 17. डा० आर०के० सिंह              |
| 18. प्रो० यू०सी० शर्मा        | 19. डा० निर्मला यादव             |
| 20. प्रो० संतोष बिहारी शर्मा  | 21. प्रो० शरद चन्द्र उपाध्याय    |
| 22. प्रो० लवकुश मिश्रा        | 23. प्रो० सुगम आनन्द             |
| 24. प्रो० हेमा पाठक           | 25. प्रो० यू०एन० शुक्ला          |
| 26. प्रो० पी०के० सिंह         | 27. डा० शशिबाला यादव             |
| 28. डा० उमेश चन्द्रा          | 29. प्रो० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा |
| 30. प्रो० मोहम्मद अरशद        | 31. प्रो० अजय तनेजा              |
| 32. प्रो० संजीव शर्मा         | 33. प्रो० वी०के० सारस्वत         |
| 34. प्रो० दिव्या श्रीवास्तव   | 35. डा० नीता                     |

36. डा0 जैसवार गौतम लाल बिहारी

37. प्रो0 दिवाकर खरे

डा0 अंजनी कुमार मिश्रा, कुलसचिव - सचिव

बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में परीक्षा नियंत्रक डा0 राजीव कुमार एवम् वित्ताधिकारी श्री ए0के0 सिंह भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा बैठक में उपस्थित हुये सभी माननीय विद्या परिषद् के सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक में उपस्थित होने पर आभार व्यक्त किया गया। कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये **Emergent** बैठक बुलाने के सम्बन्ध में बताया कि अब नया सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है। अतः हम आप सभी के सहयोग से अपने विश्वविद्यालय में कुछ नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लेने जा रहे हैं, जिसमें से अधिकतर कोर्स रोजगार परक होंगे, जिससे बच्चों को अपना उच्चवर्ग भविष्य निर्माण करने का अवसर प्राप्त होगा।

1. विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय आवासीय संस्थानों के अर्न्तगत विभिन्न स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(i) विद्या परिषद् द्वारा K.M. Institute of Hindi and Linguistics, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 14.06.2020 एवं 15.06.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-A)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा K.M. Institute of Hindi and Linguistics, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 14.06.2020 एवं 15.06.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ii) विद्या परिषद् द्वारा Institute of Engineering & Technology, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 22.06.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-B)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Institute of Engineering & Technology, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 22.06.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iii) विद्या परिषद् द्वारा Institute of Home Science, खन्दारी, आगरा की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 05.03.2020 एवं 17.06.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-C)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Institute of Home Science, खन्दारी, आगरा की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 05.03.2020 एवं 17.06.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(iv) विद्या परिषद् द्वारा फार्मसी विभाग, खन्दारी परिसर, खन्दारी आगरा की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 18.06.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-D)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा फार्मसी विभाग, खन्दारी परिसर, खन्दारी आगरा की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 18.06.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(v) विद्या परिषद् द्वारा Dau Dayal Institute of Vocational Education खन्दारी परिसर, खन्दारी आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 23.06.2020 एवं 24.06.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-E)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Dau Dayal Institute of Vocational Education खन्दारी परिसर, खन्दारी आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 23.06.2020 एवं 24.06.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(vi) विद्या परिषद् द्वारा Department of Computer Science खन्दारी परिसर, खन्दारी आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 24.06.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-F)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Department of Computer Science खन्दारी परिसर, खन्दारी आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 24.06.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(vii) विद्या परिषद् द्वारा Institute of Tourism & Hotel Management, खन्दारी परिसर, खन्दारी आगरा के One Month Hobby Course of Certificate in French के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को वापिस लिया गया।

(viii) विद्या परिषद् द्वारा Goods and Services Tax (GST) पाठ्यक्रम की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट-G)

निर्णय:-जी0एस0टी0 पाठ्यक्रम पर कुलपति जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उक्त कोर्स पूर्व कुलपति जी द्वारा प्रारम्भ किया गया था, जिसके अर्न्तगत बच्चों के प्रवेश भी हुये एवं उनसे फीस भी ली गई, किन्तु न तो उनकी कोई परीक्षा हुई और न ही किसी प्रकार का कोई Certificate प्रदान किया गया। कुलपति जी द्वारा पाठ्यक्रम Coordinator श्री अरविन्द मिश्रा जी के साथ गहन चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि जिन बच्चों ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले कर Class Attend की गई है, उन सभी बच्चों को विश्वविद्यालय द्वारा एक Certificate दिया जाय, जिसकी सूचना

31

Aminal .....4

उन्हें फोन एवं मेल 0 आई0डी0 पर उपलब्ध करायी जाये, जिससे वह Chartered Accountant के under में अपना Registration करा सकें तथा ऐसे बच्चे, जिन्होंने अगले वर्ष में प्रवेश लिया, परन्तु उनकी कोई Class नहीं हुई, उनकी विश्वविद्यालय द्वारा फीस वापिस की जाय तथा आगे सही तरीके से जी0एस0टी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रारम्भ किये जाय।

उक्त निर्णय पर माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ix) विद्या परिषद् द्वारा विधि संकाय के अर्न्तगत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर B.A.LL.B Hons.(10 Semesters), LL.M. One Year (2 Semester) and P.G. Diploma Courses (2 Semesters) के अध्यादेशों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-H)

निर्णय:- B.A.LL.B Hons.(10 Semesters), LL.M. One Year (2 Semester) and P.G. Diploma Courses (2 Semesters) के अध्यादेशों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया एवं सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नियमों के आधार पर ही इसे प्रारम्भ किया जायेगा।

2. विद्या परिषद् द्वारा रिसर्च एडवार्डजरी कमेटी की बैठक दिनांक 22.06.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-2)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा रिसर्च एडवार्डजरी कमेटी की बैठक दिनांक 22.06.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बी0पी0ई0 के स्थान पर बी0पी0ई0एस0 किये जाने सम्बन्धी बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 03.02.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार) (परिशिष्ट-3)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बी0पी0ई0 के स्थान पर बी0पी0ई0एस0 किये जाने सम्बन्धी बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 03.02.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. विद्या परिषद् द्वारा उपाधि फार्मेट के सुधार के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद पर सदन द्वारा गहन चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि:-




आज दिनांक 26.06.2020 के बाद जो डिग्रियाँ प्रिन्ट की जायेगी, उन सभी पर कुलपति जी के हस्ताक्षर के साथ परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर होंगे, परन्तु जो डिग्रियाँ पूर्व में ही प्रिन्ट की हुई रखी है, उन पर कुलपति जी के साथ यदि कुलसचिव प्रिन्ट है, तो कुलसचिव के हस्ताक्षर होंगे एवं यदि परीक्षा नियंत्रक प्रिन्ट है, तो परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर होंगे, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व एवं पश्चात् की सभी डिग्रियों पर Date of Award के साथ Date of Issue भी प्रिन्ट किया जाय, जिससे कि Pending डिग्रियों पर वर्तमान अधिकारी के हस्ताक्षर कर Pendency को समाप्त किया जा सके।

5. विद्या परिषद् द्वारा एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा की अध्ययन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-4)
- निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा की अध्ययन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
6. प्राचार्य, आर0बी0एस0 कालेज के पत्र दिनांक 24.06.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) स्कीम के अर्न्तगत महाविद्यालय द्वारा निम्न पाठ्यक्रमों को संचालित करने के अनुमोदन पर विचार करना:-

(Extension of existing C/Dad Courses)-2	a. Green House Technology b. Holistic and Sustainable Agriculture
New Courses under cert/D/Ad courses-5	a. Dairy Technology b. Organic Farming and Organic products c. Agri-Food Processing d. Agri entrepreneurship and Management e. Yoga, Meditation, happiness & wellness
B.Voc.Courses-5	a. Dairy Technology b. Multimedia, Animation and Graphics c. Nutrition and HealthCare Sciences d. Analytical Instrumentation e. Community Science
PG Diploma-3	a. Rural- Ecotourism & Heritage conservation b. Public Health Engineering And sanitation c. Circular Economy, enterprise and resource Management

(परिशिष्ट-5)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

31

*[Signature]*


7. विद्या परिषद् द्वारा 09 शोधार्थियों के शोध मूल्यांकन हेतु शोध प्रबन्ध विश्वविद्यालय में जमा करने के सम्बन्ध में विचार। (परिशिष्ट-6)


निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा 09 शोधार्थियों के शोध मूल्यांकन हेतु शोध प्रबन्ध जमा करने की समय सीमा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा शोध अध्यादेशों के अनुसार शोध प्रबन्ध जमा करने की तिथियों का सही रूप से परीक्षण कर लिया जाय। जाँच कर ली जाय कि शोधार्थी द्वारा शोध जमा करने में कोई विलम्ब/त्रुटि नहीं की गई है तथा कार्यालय की तरफ से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। जाँचोपरान्त यदि किसी शोधार्थी को सही पाया जाता है, तो उसे शोध प्रबन्ध जमा करने का अवसर प्रदान किया जायेगा, अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

8. विद्या परिषद् द्वारा स्नातक स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू किये जाने के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-7)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा शासन के पत्र संख्या-893/सत्तर-1-2020-16(26/2011) दिनांक 22 जून, 2020 के आधार पर उपरोक्त निर्णय को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

  
कुलसचिव

  
कुलपति 29/6/2020





# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

## विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.09.2020 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.09.2020 को सांय: 04:00 बजे जे०पी० सभागार, खन्दारी परिसर आगरा में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

### प्रो० अशोक मित्तल (अध्यक्ष) – कुलपति

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 2. प्रो० एस०के० कठेरिया        | 3. प्रो० विजय सिंह               |
| 4. प्रो० अंचला गक्कर           | 5. डा० मोहम्मद हुसैन             |
| 6. प्रो० दिवाकर खरे            | 7. डा० जी० के० सिंह              |
| 8. डा० यदुवीर सिंह चौहान       | 9. डा० के०पी० सिंह               |
| 10. प्रो० योगेन्द्र सिंह माहौर | 11. प्रो० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा |
| 12. डा० संजय कुमार             | 13. डा० रनवीर सिंह               |
| 14. प्रो० बी०पी० सिंह          | 15. प्रो० हेमा पाठक              |
| 16. डा० नीता                   | 17. डा० एन०के० सिंह              |
| 18. प्रो० संजय चौधरी           | 19. प्रो० विनीता सिंह            |
| 20. प्रो० दीपमाला श्रीवास्तव   | 21. प्रो० लवकुश मिश्रा           |
| 22. प्रो० मनु प्रताप सिंह      | 23. डा० वाई०पी० सिंह             |
| 24. डा० हेम प्रकाश             | 25. डा० ए०एम० राठी               |
| 26. प्रो० मीनाक्षी श्रीवास्तव  | 27. प्रो० मोहम्मद अरशद           |
| 28. प्रो० यू०सी० शर्मा         | 29. डा० हरीश कुमार शर्मा         |
| 30. प्रो० प्रदीप श्रीधर        | 31. डा० राजीव वर्मा              |
| 32. प्रो० ब्रजेश रावत          | 33. प्रो० एस०बी० शर्मा           |
| 34. प्रो० संजीव कुमार शर्मा    | 35. प्रो० यू०एन० शुक्ला          |

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 36. प्रो० आर०के० अग्निहोत्री   | 37. प्रो० मनोज कुमार उपाध्याय |
| 38. डा० जैसवार गौतम लाल बिहारी | 39. प्रो० अजय तनेजा           |
| 40. डा० सुकेश यादव             | 41. प्रो० पी०के० सिंह         |
| 42. डा० बिन्दुशेखर शर्मा       | 43. प्रो० ए०के० वर्मा         |
| 44. डा० बी०डी० शुक्ला          | 45. डा० वीरेन्द्र सिंह चौहान  |
| 46. डा० विपिन कुमार अग्रवाल    | 47. डा० नीता गुप्ता           |
| 48. डा० अलका अग्रवाल           | 49. डा० लता चन्दोला           |
| 50. प्रो० वी०के० सारस्वत       | 52. डा० पुनीता रानी महेश्वरी  |

डा० अंजनी कुमार मिश्रा, कुलसचिव – सचिव

बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में परीक्षा नियंत्रक डा० राजीव कुमार एवम् वित्ताधिकारी श्री ए०के० सिंह भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी द्वारा सभा को सम्बोधित करते हुये बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिनन्दन किया गया तथा बैठक के उद्देश्य से सभा को अवगत कराया गया, तत्पश्चात् कुलपति जी के आदेशानुसार कुलसचिव द्वारा बैठक का शुभारम्भ करते हुये माननीय कुलपति जी एवम् सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवम् उनकी सादर उपस्थिति एवम् सहयोग के लिए हर्ष के साथ कृतज्ञता व्यक्त की, तत्पश्चात् बैठक का संचालन प्रारम्भ किया गया।

1. विद्या परिषद् की पूर्व आकस्मिक बैठक दिनांक 26.06.2020 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

(परिशिष्ट-1)

निर्णय:- कुलसचिव द्वारा विद्या परिषद् की पूर्व आकस्मिक बैठक दिनांक 26.06.2020 के कार्यवृत्त के बिन्दुओं से बिन्दुवार सभा को अवगत कराया गया, तत्पश्चात् सर्वसम्मति से कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 30.06.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट-2)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 30.06.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 07.09.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट-3)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 07.09.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. विद्या परिषद् द्वारा विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 18.09.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट-4)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 18.09.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. विद्या परिषद् द्वारा संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 21.09.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट-5)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 21.09.2020 की संस्तुतियों पर विस्तृत चर्चा की गई, सर्वप्रथम प्रो० अजय तनेजा द्वार शोध अध्यादेश-2018 को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, चर्चा के मध्य डा० सुकेश यादव द्वारा यह कहा गया कि उक्त अध्यादेशों में यू०जी०सी० द्वारा माँगे जाने वाले सभी मानक पूर्ण हो रहे हैं अथवा नहीं, इसके प्रतिउत्तर में प्रो० तनेजा द्वारा अवगत कराया गया कि शोध अध्यादेश-2018 यू०जी०सी० गाइडलाइन के अनुसार ही तैयार किये गये हैं। डा० वीरेन्द्र चौहान द्वारा शिक्षकों से Supervisor Approval के लिए बार बार फार्म भरवाये जाने पर आपत्ति जताई गई, जिस का संज्ञान लेते हुये कुलपति जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा। उपरोक्त चर्चा के उपरान्त उक्त संकायाध्यक्षों की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. विद्या परिषद् द्वारा एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा की अध्ययन समिति की बैठक दिनांक 10.09.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-6)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा की अध्ययन समिति की बैठक दिनांक 10.09.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 07.02.2020, 22.02.2020, 29.02.2020,15.03.2020,15.05.2020, 23.07.2020, एवं 01.09.2020 के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-7)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 07.02.2020, 22.02.2020, 29.02.2020,15.03.2020, 15.05.2020, 23.07.2020, एवं 01.09.2020 की संस्तुतियों को गहन चर्चा के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. विद्या परिषद् को K.M. Institute of Hindi and Linguistics पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 05.09.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-8)

निर्णय:- विद्या परिषद् K.M. Institute of Hindi and Linguistics पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 05.09.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. विद्या परिषद् द्वारा Physics Deptt. Institute of Basic Science, Khandari Agra, की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 31.08.2019 एवं 12.02.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।(परिशिष्ट-9)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Physics Deptt. Institute of Basic Science, Khandari Agra. आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 31.08.2019 एवं 12.02.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
10. विद्या परिषद् द्वारा रसायन विज्ञान विभाग की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 28.09.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-10)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा रसायन विज्ञान विभाग की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 28.09.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
11. विद्या परिषद् द्वारा फार्मसी विभाग की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 13.07.2019 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-11)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा फार्मसी विभाग की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 13.07.2019 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
12. विद्या परिषद् द्वारा निदेशक, समाज विज्ञान संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा की संस्तुति के आधार पर समाज विज्ञान संस्थान में पूर्व से स्थापित राजनीति शास्त्र एवम् अर्थशास्त्र विभाग को संचालित किये जाने के सम्बन्ध विचार। (परिशिष्ट-12)  
निर्णय:- सर्वप्रथम कुलपति जी द्वारा निदेशक, समाज विज्ञान संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा के प्रस्ताव से सभा को अवगत कराया कि समाज विज्ञान संस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 1956 से संचालित है। परिनियमावली -1955 के अर्न्तगत समाज विज्ञान संस्थान में 03 विषयों की स्थापना की जानी थी, परन्तु बहुत ही खेद का विषय है कि अर्थशास्त्र एवम् राजनीति विज्ञान विषयों को आज तक संचालित नहीं किया गया, जबकि इन विषयों के बिना किसी भी समाज विज्ञान संस्थान की परिकल्पना नहीं की जा सकती, 65 सालों से इन विषयों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके साथ अब न्याय होना चाहिए। अतः समाज विज्ञान संस्थान में राजनीति शास्त्र एवम् अर्थशास्त्र विभाग को संचालित किये जाने की आवश्यकता है।  
विद्या परिषद् द्वारा समाज विज्ञान संस्थान में राजनीति शास्त्र एवम् अर्थशास्त्र विभागों को संचालित किये जाने पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
13. विद्या परिषद् द्वारा निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, द्वारा संस्थान के Vision & Mission सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार। (परिशिष्ट-13)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, द्वारा संस्थान के Vision & Mission सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।



14. विद्या परिषद् द्वारा डा0 अरविन्द मिश्रा, समन्वयक विधि विभाग के प्रस्ताव विश्वविद्यालय में विधि विभाग की स्थापना एवम् इसमें संचालित किये जा रहे एल0एल0एम0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, एल0एल0एम0 एकवर्षीय पाठ्यक्रम, परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवम् बी0ए0एल0एल0बी0 आनर्स(10 सैमिस्टर) पाठ्यक्रमों के संचालन की पुष्टि एवम् अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-14)

नोट:- एल0एल0एम0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 एवं 2019-20, जिसमें छात्र प्रवेश ले चुके हैं। पूर्व में इस पाठ्यक्रम को कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 01.10.2008 के संकल्प संख्या 31/3.15 द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किया जा चुका है। जिसको जारी रखने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। बी0ए0एल0एल0बी0 आनर्स(10 सैमिस्टर) पाठ्यक्रम बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जायेगा।

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

15. विद्या परिषद् द्वारा सहायक कुलसचिव उपाधि विभाग के प्रस्ताव से सम्बन्धित सभी अनुभाग तथा चार्ट कक्ष में उपलब्ध चार्टों का डिजिटीकरण कराये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-15)

निर्णय:- उपरोक्त प्रस्ताव को सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

*M. K. Mishra*  
कुलसचिव

*Amiral*  
कुलपति 30/9/2020



# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

## विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 19.11.2020 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 19.11.2020 को सांय: 04:00 बजे जे०पी० सभागार, खन्दारी परिसर आगरा में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

### प्रो० अशोक मित्तल (अध्यक्ष) - कुलपति

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 2. प्रो० दीपमाला श्रीवास्तव  | 3. प्रो० दिवाकर खरे            |
| 4. डा० रनवीर सिंह            | 5. डा० निर्मला यादव            |
| 6. प्रो० एस०के० कठेरिया      | 7. प्रो० यू०सी० शर्मा          |
| 8. डा० के०पी० सिंह           | 9. डा० वाई०वी०एस० चौहान        |
| 10. प्रो० मोहम्मद अरशद       | 11. डा० विपिन कुमार            |
| 12. प्रो० अनिल कुमार सिंह    | 13. प्रो० यू०एन० शुक्ला        |
| 14. डा० बी०डी० शुक्ला        | 15. डा० राजीव वर्मा            |
| 16. प्रो० संजय चौधरी         | 17. डा० जैसवार गौतम लाल बिहारी |
| 18. प्रो० आर०के० अग्निहोत्री | 19. प्रो० पी०के० सिंह          |
| 20. प्रो० प्रीति जौहरी       | 21. डा० नीता                   |
| 22. प्रो० ए०के० वर्मा        | 23. डा० सुनीता श्रीवास्तव      |
| 24. डा० मंगला तलेगाँवकर      | 25. डा० ग्यानेन्द्र कुमार सिंह |
| 26. डा० हरीश कुमार शर्मा     | 27. डा० वाई०पी० सिंह           |
| 28. डा० हेम प्रकाश           | 29. प्रो० प्रदीप श्रीधर        |
| 30. डा० अलका अग्रवाल         | 31. डा० नीता गुप्ता            |
| 32. डा० लता चण्डौला          | 33. डा० आर०के० सिंह            |
| 34. प्रो० बिन्दुशेखर शर्मा   | 35. प्रो० एस०बी० शर्मा         |

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 36. प्रो० संजीव कुमार     | 37. प्रो० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा |
| 38. प्रो० एम०के० उपाध्याय | 39. प्रो० अजय तनेजा              |
| 40. प्रो० बी०पी० सिंह     | 41. प्रो० मनु प्रताप सिंह        |

डा० अंजनी कुमार मिश्रा, कुलसचिव – सचिव

बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में परीक्षा नियंत्रक डा० राजीव कुमार भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये बैठक आहूत किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया। कुलपति जी के उद्बोधन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई:-

1. विद्या परिषद् द्वारा पूर्व में आहूत हुई विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 21.12.2018 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 21.12.2018 में विश्वविद्यालय अध्यादेश के Chapter XXXIV 5(C)III का संवर्धन करते हुये निम्न व्यवस्था की गयी:-

निम्नांकित अध्यादेशों में संशोधन/प्रतिस्थापन/विलोपन किया जाना:-

अध्याय- XXXIV - 5(B) (ii), 5(C) (iii)

अध्याय- XXXV - 3 के परन्तुक (Proviso) में संशोधन

अध्याय- XXXVII - 3 के परन्तुक में संशोधन

मदः निम्नांकित अध्यादेशों में संशोधन/विलोपन किया जाना:-

अध्याय- XXXIV


1. 5.(B)(ii) को विलोपित करते हुए विलोपन से पूर्व के अध्यादेश पुनः संरक्षित किया जाना।

2. 5.(C)(iii) में से 'in Part I and Part II and two either subjects out of three subjects in part III examination' को विलोपित करते हुए 'in Part I, Part II and Part III examinations' स्थापित किया जाना।

अध्याय- XXXV

3. अध्यादेश संख्या-3 के परन्तुक में अध्याय XXXIV के अध्यादेश 5 (c)(iii) को ज्यों कि त्यों लागू कर संशोधित किया जाना यथा-

" The provisions of ordinance, laid down under chapter XXXIV as 5(C)(iii) as amended, under the faculty of Arts, shall suo motu be applicable to the examines/students undertaking B.Sc. examinations of the University."



अध्याय- XXXVII

4. अध्यादेश संख्या-4 के परन्तुक में अध्याय XXXIV के अध्यादेश 5 (C)(iii) स्थापित किया जाना।

निर्णय:-कुलपति जी द्वारा उपरोक्त अध्यादेश संशोधन के सम्बन्ध में उपस्थित सभी सदस्यों को विस्तारपूर्वक बताया कि पूर्व में छात्रों को सत्र 2016-17 से स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय वर्ष में 03 विषय एवम तृतीय वर्ष में 02 विषय का अध्ययन हेतु चुनाव करना होता था, जिसे परिवर्तित कर सत्र 2020-2021 से तृतीय वर्ष में भी 03 विषय किये जाने हेतु औटा सदस्यों द्वारा परीक्षा समिति में अनुरोध किया गया। परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 01.09.2020 द्वारा उक्त विषय को बोर्ड ऑफ स्टडीज को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया, जिसे दिनांक 23.09.2020 की परीक्षा समिति द्वारा वापिस लेते हुये विद्या परिषद् में रखे जाने का निर्णय लिया गया, तत्पश्चात् विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा कला एवं विज्ञान संकाय के छात्रों को सत्र 2020-2021 से तृतीय वर्ष में भी 03 विषय पढे जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपरोक्त संशोधन को परिषद् के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. विद्या परिषद् द्वारा आयुर्वेद/यूनानी की बोर्ड/फैकल्टी की बैठक दिनांक 30.07.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-1)

निर्णय:- उक्त मद पर संकायाध्यक्ष आयुर्वेद/यूनानी डा0 एस0के0 कठेरिया द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुये परिषद् को बताया गया कि बोर्ड/फैकल्टी की बैठक दिनांक 30.07.2020 के द्वारा भारत का राजपत्र, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली अधिसूचना 07 नवम्बर, 2016 को अंगीकृत किया गया, जिसमें यूनानी के एम0डी0 यूनानी में एक विषय कुल्लियात उमूरे तबैय्या का नाम परिवर्तित कर कुल्लियात-ए-तिब कर दिया गया है, तत्पश्चात् परिषद् द्वारा आयुर्वेद/यूनानी बोर्ड/फैकल्टी की बैठक दिनांक 30.07.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विषय के नाम परिवर्तन का निर्णय सत्र 2017-18 से लागू माना जायेगा।

3. विद्या परिषद् द्वारा फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अन्तर्गत **Deptt of Zoology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 31.10.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-2)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अन्तर्गत **Deptt of Zoology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 31.10.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. विद्या परिषद् द्वारा प्राचार्य, धर्म समाज डिग्री कालेज, अलीगढ द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक पाठ्यक्रम B.Voc. in Information Technology एवम् Advance Diploma in healthcare के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-3)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक पाठ्यक्रम B.Voc. in Information Technology एवम् Advance Diploma in healthcare को अनुमोदन प्रदान किया गया।






विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 19.11.2020 का पूरक कार्यवृत्त

1. विद्या परिषद् द्वारा स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अर्न्तगत **Deptt of Botany** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 19.10.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-1)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के अर्न्तगत **Deptt of Botany** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 19.10.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.09.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-2)  
निर्णय:- परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.09.2020 का विस्तृत ब्यौरा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चर्चा के मध्य डा० हेम प्रकाश, प्राचार्य, डी०एस० कालेज, अलीगढ द्वारा जानकारी माँगी गई कि ऐसे छात्र जो 08 वर्ष में अपना बी०ए०एल०एल०बी० का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर सके हैं, उन्हें पाठ्यक्रम पूर्ण कराने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा क्या व्यवस्था की जा सकती है।  
उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि पाठ्यक्रम पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में यू०जी०सी० से गाइडलाइन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा तथा यू०जी०सी० के निर्देशानुसार निर्णय लिया जायेगा, जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।  
परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23.09.2020 की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

  
कुलसचिव

  
कुलपति 19/11/20



# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

## विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18.01.2021 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18.01.2021 को अपराह्न 03:00 बजे जे०पी० सभागार, खन्दारी परिसर आगरा में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

### प्रो० अशोक मित्तल (अध्यक्ष) – कुलपति

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 2. डा० के०पी० सिंह              | 3. डा० वाई०पी० सिंह              |
| 4. डा० हेम प्रकाश               | 5. डा० ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह    |
| 6. प्रो० एस०सी० उपाध्याय        | 7. डा० प्रताप सिंह               |
| 8. प्रो० यू०एन० शुक्ला          | 9. प्रो० बिन्दुशेखर शर्मा        |
| 10. डा० राजीव वर्मा             | 11. प्रो० दिवाकर खरे             |
| 12. प्रो० विनीता सिंह           | 13. प्रो० ए०के० वर्मा            |
| 14. डा० आर०के० अग्निहोत्री      | 15. प्रो० संजीव कुमार            |
| 16. प्रो० संजय चौधरी            | 17. डा० आर०के० सिंह              |
| 18. डा० विपिन कुमार             | 19. डा० प्रीति जौहरी             |
| 20. डा० नीरज गुप्ता             | 21. प्रो० अचला गक्खर             |
| 22. डा० पुनीता रानी महेश्वरी    | 23. प्रो० हेमा पाठक              |
| 24. डा० प्रशान्त सिंह           | 25. डा० नीता                     |
| 26. प्रो० मनोज कुमार श्रीवास्तव | 27. डा० रनवीर सिंह               |
| 28. प्रो० यू०सी० शर्मा          | 29. प्रो० पी०के० सिंह            |
| 30. प्रो० प्रदीप श्रीधर         | 31. डा० मोहम्मद हुसैन            |
| 32. डा० मनु प्रताप सिंह         | 33. प्रो० लवकुश मिश्रा           |
| 34. प्रो० ब्रजेश रावत           | 35. प्रो० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा |

36. प्रो० बी०पी० सिंह

37. प्रो० अजय तनेजा

38. डा० बी०डी० शुक्ला

39. डा० लता चण्डौला

40. डा० निर्मला यादव

डा० राजीव कुमार, परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव – सचिव

बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में वित्त अधिकारी श्री ए०के० सिंह भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम परीक्षा नियंत्रक डा० राजीव कुमार द्वारा बैठक के सदस्यों का स्वागत करते हुये माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का संचालन प्रारम्भ किया गया।

1. विद्या परिषद् की पूर्व आकस्मिक बैठक दिनांक 30.09.2020 एवं 19.11.2020 के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि पर विचार। (परिशिष्ट-1)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा अपनी पूर्व आकस्मिक बैठक दिनांक 30.09.2020 एवं 19.11.2020 के कार्यवृत्तों की सम्पुष्टि की गयी।

2. विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18.10.2020 एवम् 17.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-2)

निर्णय:- परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18.10.2020 एवम् 17.01.2021 की संस्तुतियों को परीक्षा नियंत्रक द्वारा परिषद् के समक्ष विस्तृत रूप से पढकर सुनाया गया एवम् सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या-ई-7443 /03-जी०एस०/2019(TC) दिनांक 26.11.2020 विश्वविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन(Challenge Evaluation) प्रस्तावित अध्यादेश को समान रूप से लागू किये जाने के सम्बन्ध में विचार। (परिशिष्ट-3)

निर्णय:- उक्त मद का अनुमोदन मद संख्या-2 में कर दिया गया है।

4. विद्या परिषद् द्वारा श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के पत्र संख्या -ई-7472/12-जी०एस० / 2020(मिस-IV) दिनांक 08.12.2020 उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के आवासीय परिसर में दीन दयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की भाँति उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के अध्ययन केन्द्र संचालित किये जाने के सम्बन्ध में विचार। (परिशिष्ट-4)

निर्णय:- उक्त मद का अनुमोदन मद संख्या-2 में कर दिया गया है।

5. विद्या परिषद् द्वारा श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के पत्र संख्या-ई-7471/12-जी0एस0/2020(मिस-II) दिनांक 08.12.2020 उत्तर प्रदेश के कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत (Private) शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-5)

निर्णय:- उक्त मद पर परिषद् द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में संचालित व्यक्तिगत शिक्षार्थी के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था पूर्ववत् ही रहेगी।

6. विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की बैठक दिनांक 21.12.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-6)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की बैठक दिनांक 21.12.2020 की संस्तुतियों को निरस्त किया गया।

7. विद्या परिषद् द्वारा ललित संकाय की बैठक दिनांक 06.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-7)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा ललित कला संकाय की बैठक दिनांक 06.01.2021 की संस्तुतियों को निरस्त किया गया।

8. विद्या परिषद् द्वारा शिक्षाशास्त्र संकाय की बैठक दिनांक 11.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-8)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा शिक्षाशास्त्र संकाय की बैठक दिनांक 11.01.2021 की संस्तुतियों को निरस्त किया गया।

9. विद्या परिषद् द्वारा विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 11.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-9)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 11.01.2021 की संस्तुतियों को निरस्त किया गया।

10. विद्या परिषद् द्वारा गणित विभाग, बेसिक विज्ञान संस्थान, खन्दारी परिसर, खन्दारी आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 24.12.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-10)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा गणित विभाग, बेसिक विज्ञान संस्थान, खन्दारी परिसर, खन्दारी आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 24.12.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

11. विद्या परिषद् द्वारा Department of Computer Science, IET, Khandari, Agra की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 24.12.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-11)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Department of Computer Science, IET, Khandari, Agra की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 24.12.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
12. विद्या परिषद् द्वारा Department of Pharmacy, Khandari, Agra की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 31.12.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-12)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Department of Pharmacy, Khandari, Agra की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 31.12.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
13. विद्या परिषद् द्वारा आवासीय इकाई में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि पर विचार।  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद पर चर्चा नहीं की गई।

### विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18.01.2021 का पूरक कार्यवृत्त

1. विद्या परिषद् द्वारा कृषि संकाय की बैठक दिनांक 15.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-1)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा कृषि संकाय की बैठक दिनांक 15.01.2021 की संस्तुतियों को निरस्त किया गया।
2. विद्या परिषद् द्वारा वाणिज्य संकाय की बैठक दिनांक 15.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-2)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा वाणिज्य संकाय की बैठक दिनांक 15.01.2021 की संस्तुतियों को निरस्त किया गया।
3. विद्या परिषद् द्वारा Physical Education (B.P.E.S./B.P.Ed) की अध्ययन समिति की बैठक दिनांक 16.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-3)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Physical Education (B.P.E.S./B.P.Ed) की अध्ययन समिति की बैठक दिनांक 16.01.2021 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
4. विद्या परिषद् द्वारा विधि संकाय की बैठक दिनांक 16.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-4)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा विधि संकाय की बैठक दिनांक 15.01.2021 की संस्तुतियों को निरस्त किया गया।

5. विद्या परिषद् द्वारा स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, खन्दारी आगरा के अर्न्तगत Department of Zoology की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 21.12.2020, Department of Forestry की एकेडेमिक कमेटी बैठक दिनांक 21.12.2020, Department of Biochemistry की एकेडेमिक कमेटी बैठक दिनांक 28.12.2020, Department of Botany की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.12.2020, Department of Environmental Studies की एकेडेमिक कमेटी बैठक दिनांक 29.12.2020, Department of Microbiology की एकेडेमिक कमेटी बैठक की दिनांक 29.12.2020, Department of Biotechnology की एकेडेमिक कमेटी बैठक दिनांक 29.12.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-5)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. विद्या परिषद् द्वारा Department of Physics, Institute of Basic Science, Khandari, Agra की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 12.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।(परिशिष्ट-6)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Department of Physics, Institute of Basic Science, Khandari, Agra की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 12.01.2021 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. विद्या परिषद् द्वारा Dau Dayal Institute of Vocational Education, Khandari, Agra की एकेडेमिक कमेटी बैठक दिनांक 05.01.2021 एवं 15.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-7)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Dau Dayal Institute of Vocational Education, Khandari, Agra की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 05.01.2021 एवं 15.01.2021 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. विद्या परिषद् द्वारा Deptt. of Chemistry, Institute of Basic Science, Khandari, Agra की एकेडेमिक कमेटी बैठक दिनांक 26.12.2020 एवं 08.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-8)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Deptt. of Chemistry, Institute of Basic Science, Khandari, Agra की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 26.12.2020 एवं 08.01.2021 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया।

9. विद्या परिषद् द्वारा Seth Padam Chand Jain Institute of Management, & Economics Khandari, Agra की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 21.12.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।(परिशिष्ट-9)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा **Seth Padam Chand Jain Institute of Management, & Economics Khandari, Agra** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 21.12.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. विद्या परिषद् द्वारा **Institute of Tourism & Hotel Management, Khandari, Agra** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 14.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-10)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा **Institute of Tourism & Hotel Management, Khandari, Agra** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 14.01.2021 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

11. विद्या परिषद् द्वारा **University Computer Centre (U.C.C.), Khandari, Agra** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 21.12.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-11)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा **University Computer Centre (U.C.C.), Khandari, Agra** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 21.12.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

12. विद्या परिषद् द्वारा क०मु० हिंदी एवं भाषाविज्ञान विद्यापीठ, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 26.12.2020 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-12)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा क०मु० हिंदी एवं भाषाविज्ञान विद्यापीठ, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 26.12.2020 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

13. विद्या परिषद् द्वारा **Institute of Social Sciences, Paliwal Park, Agra** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 12.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-13)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा **Institute of Social Sciences, Paliwal Park, Agra** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 12.01.2021 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

14. विद्या परिषद् द्वारा प्र० मनु प्रताप सिंह, Deptt. of Computer Science, खन्दारी, आगरा के पत्र दिनांक

15.01.2021 "About the separation of the Department of Computer Science from Institute of Engineering & Technology, Khandari" के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-14)

उक्त मद पर माननीय कुलपति जी द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि पूर्व से ही Computer Science Deptt. अलग से प्रारम्भ किया गया था, परन्तु बाद में इसे आई०ई०टी० संस्थान के साथ

Attach कर दिया गया, चूंकि इंजीनियरिंग विभाग पूर्ण रूप से स्ववित्त पोषित है एवम् Computer Science, Regular Deptt. है। अतः दोनों को एक साथ चलाने में Fees Structure इत्यादि से सम्बन्धित बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

निर्णय:- प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

15. विद्या परिषद् द्वारा उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-5733/सत्तर-3-2020 दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 संत कबीर अकादमी के अर्न्तगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में उपकेन्द्रों की स्थापना एवम् शोध के सम्बन्ध में विचार। (परिशिष्ट-15)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि वे इस दिशा में कार्य किये जाने हेतु दिशा निर्देश प्रदान करें।

16. विद्या परिषद् द्वारा डा० अजय तनेजा, Director/Member-Secretary, I.Q.A.C. के पत्र संख्या: I.Q.A.C./131/2021 दिनांक 16.01.2021 के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-16)

टिप्पणी:- In the meeting of IQAC held on 16/01/2021, it was decided that Ph.D scholars registered in various research centers (Affiliated colleges, Govt. Colleges and R.W. departments) have to mention the name of the University "Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra" along with their research center's name in the papers published as necessary condition for fulfilling the condition for submission of thesis."

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।

17. विद्या परिषद् द्वारा एस०के० कालेज, एटा के पत्र संख्या SKC/D.Y.Ed/188/2021 दिनांक 06.01.2021 द्वारा D.Y.Ed (Diploma in Yoga Education) की सम्बद्धता दिये जाने विषयक प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अधीक्षक सम्बद्धन विभाग की आख्या पर विचार। (परिशिष्ट-17)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।

18. विद्या परिषद् द्वारा ललित कला संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 12.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-18)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा ललित कला संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 12.01.2021 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

19. विद्या परिषद् द्वारा Pt. Deen Dayal Upadhyay Institute of Rural Development, Paliwal Park, Agra की एकेडेमिक कमेटी की बैठक 16.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-19)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा Pt. Deen Dayal Upadhyay Institute of Rural Development, Paliwal Park, Agra की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।



20. विद्या परिषद् द्वारा पुस्तकालय विज्ञान, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक 16.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (संलग्नक-20)


निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा पुस्तकालय विज्ञान, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक 16.01.2021 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

21. विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में अधिनियम 1973 की धारा 44 के अधीन इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एवम् पैरामैडिकल साइंसेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार। (संलग्नक-21)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-44 के अधीन इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एण्ड पैरामैडिकल साइंसेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत को स्वीकार करते हुये सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में परीक्षा नियंत्रक द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

  
कुलसचिव  
19/01/2021

  
कुलपति  
19/1/21



# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

## विद्या परिषद की बैठक दिनांक 13.04.2021 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 13.04.2021 को अपराह्न 02:00 बजे जे०पी० सभागार, खन्दारी परिसर आगरा में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

प्रो० अशोक मित्तल (अध्यक्ष) - कुलपति

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 2. डा० मंगला तलेगाँवकर           | 3. डा० विजय सिंह               |
| 4. डा० नीता                      | 5. डा० हरीश कुमार शर्मा        |
| 6. डा० के०पी० सिंह               | 7. डा० ग्यानेन्द्र कुमार सिंह  |
| 8. प्रो० विपिन कुमार             | 9. प्रो० एस०के० कठारिया        |
| 10. डा० नीता गुप्ता              | 11. प्रो० प्रदीप श्रीधर        |
| 12. प्रो० संजय चौधरी             | 13. प्रो० यू०एन० शुक्ला        |
| 14. प्रो० ब्रजेश रावत            | 15. प्रो० अजय तनेजा            |
| 16. प्रो० वी०के० सारस्वत         | 17. डा० रनवीर सिंह             |
| 18. डा० यू०एन० सिंह              | 19. डा० वाई०पी० सिंह           |
| 20. डा० हेम प्रकाश               | 21. प्रो० मनोज श्रीवास्तव      |
| 22. प्रो० मनोज कुमार उपाध्याय    | 23. डा० आरके० अग्निहोत्री      |
| 24. प्रो० मनु प्रताप सिंह        | 25. प्रो० अनिल कुमार वर्मा     |
| 26. प्रो० संजीव कुमार            | 27. डा० यू०सी० शर्मा           |
| 28. प्रो० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा | 29. डा० गौतम लाल बिहारी जैसवार |
| 30. प्रो० लवकुश मिश्रा           | 31. डा० के०के० शर्मा           |

श्री अजय गौतम, सहायक कुलसचिव/कुलसचिव - सचिव

2021  
13.04.21

.....2

9/13  
13.04.21

सर्वप्रथम सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये कोविड के समय में भी सहयोग करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया, तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई:-

1. विद्या परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 18.01.2021 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया जाना। (परिशिष्ट-1)

निर्णय:- सचिव द्वारा विद्या परिषद् की पूर्व बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों से परिषद् को अवगत कराया गया

तथा विद्या परिषद् के पूरक कार्यवृत्त के मद संख्या-14 में "About the separation of the Department of Computer Science from Institute of Engineering & Technology, Khandari" को विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था तथा कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 20.01.2021 द्वारा उक्त के लिए कुलपति जी को अधिकृत कर दिया गया। प्रो० वी०के० सारस्वत द्वारा सुझाव दिया गया कि विद्या परिषद् के कार्यवृत्त में भी कुलपति जी को अधिकृत कर दिया जाय। उक्त से अवगत होते हुए परिषद् द्वारा कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25.03.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार किया जाना। (परिशिष्ट-2)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25.03.2021 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की बैठक, दिनांक 29.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार किया जाना। (परिशिष्ट-3)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की बैठक, दिनांक 29.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. विद्या परिषद् द्वारा पंजीकृत शोधार्थियों, श्री अनिल कुमार एवं श्री नवीन कुमार के शोध पूर्ण करने से पूर्व उनके शोध निर्देशकों के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप शोध अध्यादेश-2013 के अध्यादेश 8.02 के अन्तिम परन्तुक Provided further that in very special circumstances, the retired teachers of the Universities and affiliated/associated colleges upto the age of 65 years may also be approved as supervisors by the Academic Council के अर्न्तगत निर्देशक का supervision extension अनुमत किये जाने पर विचार किया जाना। (परिशिष्ट-4)

निर्णय:- परिषद् द्वारा उक्त मद पर सम्यक् विचारोपरान्त शिक्षकों को 65 वर्ष तक शोध कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्णय के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त पर प्रो० संजीव शर्मा द्वारा यह जानकारी माँगी गई कि इस परिस्थिति में छात्र का सेन्टर क्या रहेगा, जिस पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि कॉलेज की एन०ओ०सी० प्राप्त करने के पश्चात् सेन्टर पूर्ववत् ही रहेगा।

5. कुलाधिपति के अपर विधि परामर्शदाता के पत्र संख्या-ई-340/3-जी0एस0/2021 दिनांक 15.01.2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अर्न्तगत डा0 भुवनेश कुमार सिंह को शोध प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर विचार किया जाना।

(परिशिष्ट-5)

निर्णय:- उक्त मद पर प्रो0 अजय तनेजा द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि परीक्षक का चयन कुलपति स्तर से किया जाता है। छात्र डा0 भुवनेश कुमार सिंह के शोध मूल्यांकन हेतु दोनों विशेषज्ञों का आन्तरिक होने में छात्र का कोई दोष नहीं है। अतः सर्वसम्मति से डा0 भुवनेश कुमार सिंह को शोध प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर सहमति प्रदान की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में यदि अन्य छात्रों के मूल्यांकन हेतु भी दोनों आंतरिक शिक्षकों का चयन किया गया है, उन पर भी उक्त निर्णय लागू होगा।

6. विश्वविद्यालय में कैरियर एण्ड काउन्सिलिंग सेन्टर स्थापित किये जाने एवं उक्त प्रयोजनार्थ MOU (समझौता ज्ञापन) हस्ताक्षर किये जाने से विद्या परिषद् को अवगत कराये जाने पर विचार किया जाना। (परिशिष्ट-6)

निर्णय:- उक्त मद को प्रो0 यू0एन0 शुक्ला द्वारा परिषद् के समक्ष विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने परिषद् को अवगत कराया कि उक्त सेन्टर मेगा फाउन्डेशन द्वारा प्रारम्भ कराया जायेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय तथा फाउन्डेशन के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया जायेगा कि उक्त सेन्टर में प्रवेश लेने वाले छात्रों से रू0 500/- शुल्क देय होगा, जिसमें से रू0 300/- कालेज/विश्वविद्यालय लेगा तथा रू0 200/- मेगा फाउन्डेशन को दिये जायेंगे। उपरोक्त पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. विद्या परिषद् द्वारा दिनांक 15.01.2021को आहूत हुई वाणिज्य संकाय की बैठक में श्री कप्तान सिंह के विषयों की समकक्षता के सम्बन्ध में लिये गये निम्न निर्णय के अनुमोदन पर विचार।(परिशिष्ट-7)

“As per request made by student, we deeply checked the syllabus of Delhi University and compared it to syllabus of Dr. B.R. Ambedkar University, Agra in the year 1992, 1993, & 1994 of B.Com I, II III respectively . We found more than 75% Syllabus match with both of Universities”

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा श्री कप्तान सिंह को उपरोक्त विषयक पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. बी0एड0 वर्ष 2013-14 में अल्पसंख्यक ए0सी0एन0 कालेज, अलीगढ के सीधे प्रवेशित छात्रों का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कुलपति जी द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

.....4

निर्णय:- उक्त मद को समिति सदस्य प्रो० संजय चौधरी द्वारा परिषद् के समक्ष विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने परिषद् को अवगत कराया कि सीधे प्रवेश का तात्पर्य है कि अल्पसंख्यक सीटों पर सीधे अर्थात् बिना काउन्सिलिंग के सीधे प्रवेश, परन्तु छात्रों के पास प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र अथवा रैंक होना आवश्यक है। उक्त कालेज के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर परिषद् द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया।

उपरोक्त पर परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि ए०सी०एन० कॉलेज अलीगढ़ का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय तथा इसी अधार पर अन्य अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए भी उक्त निर्णय को लागू किया जाय।

### विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13.04.2021 का पूरक कार्यवृत्त

1. विद्या परिषद् द्वारा अधीक्षक शोध के कार्यालयी आलेख पर विचार, जो निम्नवत् है:-

बिन्दु संख्या-(a) वर्ष 2018 में आकांक्षा, पुत्री श्री संतोष कुमार यादव समाजशास्त्र, बी०एस०ए० महाविद्यालय, मथुरा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यवेदन में स्वास्थ्य खराब होने के कारण रूपरेखा जमा करने में असमर्थता दर्शायी है।

बिन्दु संख्या-(b) डा० राजेश कुमार, वाणिज्य संकाय, पी०सी० बागला कॉलेज, हाथरस द्वारा अपने प्रत्यावेदन में 2014 के विशेष सत्र में सह आचार्य के पद पर होने के कारण दो अतिरिक्त शोधार्थियों हेतु सीट आवंटन के सम्बन्ध में तथा डा० राजेश कुमार के निर्देशन में 02 छात्रों की वर्ष 2014 के स्पेशल शोधार्थियों की शोध रूपरेखा जमा कराने के सम्बन्ध में।

बिन्दु संख्या-(c) वर्ष 2018 में श्री अर्जुन कुमार, पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा अपने प्रत्यावेदन में शोध रूपरेखा जमा करने के सन्दर्भ में निवेदन किया है। (परिशिष्ट-1)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा 1,2 तथा 3 पर चर्चा करते हुये निर्णय लिया गया कि जिन छात्रों की शोध रूपरेखा समय पर विश्वविद्यालय में जमा नहीं की गई, उनके लिए तिथि निर्धारित करते हुये रू० 2000/- विलम्ब शुल्क के साथ जमा कराये जाने का प्राविधान है, परन्तु विलम्ब शुल्क के साथ जमा कराये जाने की तिथि पर उपर्युक्त तीन छात्र, जो अपनी शोध रूपरेखा किसी कारणवश जमा नहीं कर सके हैं, उन्हें शोध रूपरेखा जमा कराये जाने हेतु एक अन्य तिथि देते हुये रू० 1000/- दण्डात्मक शुल्क अर्थात् 2000+1000=3000 शुल्क जमा कराये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में परिषद् के सचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

सचिव  
13/4/21

अध्यक्ष  
13/4/2021



# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

## विद्या परिषद् की वर्चुअल(Virtual) बैठक दिनांक 24.06.2021 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की वर्चुअल (Virtual) बैठक दिनांक 24.06.2021 को सांय 04:00 बजे आहूत हुई,, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

। प्रो० अशोक मित्तल (अध्यक्ष) – कुलपति

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 2. प्रो० वी०के० सारस्तव      | 3. डा० मनोज कुमार उपाध्याय      |
| 4. प्रो० अचला गक्खर          | 5. प्रो० अजय तनेजा              |
| 6. डा० अलका अग्रवाल          | 7. प्रो० अनिल कुमार वर्मा       |
| 8. प्रो० बिन्दुशेखर शर्मा    | 9. डा० डी०एस० कुशवाह            |
| 10. डा० वाई० पी० सिंह        | 11. डा० देवेन्द्र सिंह          |
| 12. डा० मंजू लता शर्मा       | 13. डा० निशा अग्रवाल            |
| 14. डा० पुनीता रानी महेश्वरी | 15. डा० अमिता शर्मा             |
| 16. प्रो० मोहम्मद अरशद       | 17. डा० हरीश कुमार शर्मा        |
| 18. डा० मंगला तलेगाँवकर      | 19. डा० राजीव वर्मा             |
| 20. डा० आर०के० अग्निहोत्री   | 21. डा० उमेश चन्द्रा            |
| 22. डा० उमेश चन्द्र शर्मा    | 23. डा० वी०के० तौमर             |
| 24. डा० रनवीर सिंह           | 25. डा० एस०एस० पॉल              |
| 26. डा० हेम प्रकाश           | 27. प्रो० मनोज कुमार श्रीवास्तव |
| 28. प्रो० मनु प्रताप सिंह    | 29. प्रो० मीनाक्षी. श्रीवास्तव  |
| 30. डा० नीता                 | 31. डा० निर्मला यादव            |
| 32. डा० पी०के० सिंह          | 33. डा० प्रीति जौहरी            |
| 34. प्रो० बी०पी० सिंह        | 35. प्रो० शरद उपाध्याय          |

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 36. प्रो० एस०के० कठेरिया       | 37. प्रो० यू०एन० शुक्ला      |
| 38. प्रो० विनीता सिंह          | 39. प्रो० दीपमाला श्रीवास्तव |
| 40. प्रो० लवकुश मिश्रा         | 41. प्रो० संजीव कुमार        |
| 42. प्रो० संजय चौधरी           | 43. प्रो० एस०बी० शर्मा       |
| 44. डा० ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह | 45. डा० उपेन्द्र सिंह        |

बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में डा० राजीव कुमार, परीक्षा नियंत्रक एवं श्री ए०के० सिंह, वित्त अधिकारी भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा बैठक के सदस्यों का स्वागत करते हुये माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का संचालन प्रारम्भ किया गया।

1. विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.06.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-1)

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.06.2021 की संस्तुतियों को परीक्षा नियंत्रक द्वारा विस्तृत रूप से पढकर सुनाया गया, जिसके बिन्दु संख्या 1 के क्रमांक 9 को स्पष्ट करते हुये बताया कि प्रायोगिक परीक्षाओं के स्थान पर मौखिक परीक्षा कराये जाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु सभी महाविद्यालयों में वर्चुअल रूप से मौखिक परीक्षा कराना सम्भव प्रतीत न होने के कारण तृतीय वर्ष में प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में अंक निर्धारण का निर्णय लिया जाना होगा।

निर्णय:- उपरोक्तानुसार परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.06.2021 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-2)

निर्णय:- कुलसचिव द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 की संस्तुतियों को विस्तृत रूप से परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने को अंगीकृत किये जान पर विचार।

(परिशिष्ट-3)

निर्णय:-उक्त बिन्दु पर कुलपति जी द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि शासनादेश के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा शासन से प्राप्त पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की अध्ययन समितियों, संकायों एवम् विद्या परिषद् द्वारा पूर्व में ही अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अतः परिषद् द्वारा उक्त शासनादेश को अध्ययन समिति, संकाय एवम् विद्या परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 14.05.2021 की संस्तुतियों के साथ अंगीकृत किया गया।

4. विद्या परिषद् द्वारा डा0 ज्योति द्विवेदी, डा0 नीतू सैनी तथा डा0 सुमनलता यादव के शोध कार्य सम्पन्न किये जाने सम्बन्धी द्वितीय पत्रावलियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-4)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा डा0 ज्योति द्विवेदी, डा0 नीतू सैनी तथा डा0 सुमनलता यादव के शोध कार्य सम्पन्न किये जाने सम्बन्धी द्वितीय पत्रावलियाँ तैयार किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. विद्या परिषद् द्वारा शोध समिति की आगामी बैठकें ऑन लाइन कराये जाने विषयक प्रो0 अजय तनेजा, संकायाध्यक्ष शोध के पत्र पर विचार। (परिशिष्ट-5)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा संकायाध्यक्ष शोध के प्रस्ताव शोध समिति की आगामी बैठकें ऑन लाइन कराये को परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. विद्या परिषद् द्वारा विभिन्न विषयों की डी0लिट्0/डी0एस0सी0 की शोध समिति द्वारा पंजीकरण अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार। (परिशिष्ट-6)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा शोध समिति की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित विषयों में क्रमवार अंकित पंजीकरण को अस्वीकृत किया गया:-

S.No.	Reg. No.	R.D.C. Date	Subject	Name of Candidate	Decision
1.	4344	17.02.2021	Psychology	Dr. Rajesh Kumar	Rejected
2.	D014	19.01.2021	English	Dr. Sudhir Kumar	Rejected
3.	D001	19.01.2021	English	Dr. Shivkant Mishra	Rejected
4.	5640	12.01.2021	Sociology	Dr. Sanjay Singh Yadav	Rejected
5.	D091	10-02-2021	Political Science	Dr. Manju Baghel	Rejected
6.	D063	15.12.2020	Hindi	Dr. Shiv Pratap Singh	Rejected

7. विद्या परिषद् द्वारा होम्योपैथिक बोर्ड/संकाय की बैठक दिनांक 13.04.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-7)



निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा होम्योपैथिक बोर्ड/संकाय की बैठक दिनांक 13.04.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. विद्या परिषद् द्वारा प्रो० यू०एन० शुक्ला, Prof. & Head Deptt. of Travel & Tourism Management, Khandari, Agra के पत्र संख्या DTTM/05/02/2021 दिनांक 25.03.2021 पर विचार। (संलग्नक-8)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा प्रो० यू०एन० शुक्ला, Prof. & Head Deptt. of Travel & Tourism Management, Khandari, Agra के पत्र संख्या DTTM/05/02/2021 दिनांक 25.03.2021 को अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद


1. कुलपति जी द्वारा परिषद् के सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के आवासीय इकाई में स्थित समाज विज्ञान संस्थान की स्थापना के समय संस्थान में 03 विषयों को प्रारम्भ किया जाना था। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवम् राजनीति शास्त्र, परन्तु अर्थशास्त्र एवम् समाजशास्त्र विषय किन्ही भी कारणोंवश आज तक संचालित नहीं हो सके। जैसा कि सर्व विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के निर्देशानुसार आवासीय इकाई में भी स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना आवश्यक होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में एम०फिल० को समाप्त किया जा चुका है तथा परास्नातक एक वर्ष का ही रह गया है। अर्थशास्त्र एवम् राजनीति शास्त्र को प्रारम्भ किये जाने की संमति विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 30.09.2020 एवम् कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 22.10.2020 में की जा चुकी है। उक्त पाठ्यक्रमों को सत्र 2021-22 से प्रारम्भ किये जाने के लिए संस्थान के स्तर पर उपलब्ध पदों को निम्नवत् बाँटा गया है:-

पद	अर्थशास्त्र	राजनीति शास्त्र	समाजशास्त्र
प्रोफेसर	01	01	01
एशोसियेट प्रोफेसर	02	02	02
असिस्टेन्ट प्रोफेसर	02	02	02

विद्या परिषद् द्वारा उक्त पदों को भरे जाने की संस्तुति प्रदान की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान के स्तर पर स्नातक एवम् परास्नातक के पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव अध्ययन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्रदान कराया जाय तथा सत्र 2021-22 से छात्रों के प्रवेश को भी अनुमोदन प्रदान किया जाय।

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

  
कुलसचिव

  
कुलपति  
24/6/21



# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2022 को कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2022 को अपरान्ह 01:00 बजे जुबली हॉल, पालीवाल पार्क, आगरा में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

प्रो० आलोक कुमार राय (अध्यक्ष) - कुलपति

2. प्रो० प्रदीप श्रीधर
4. प्रो० यू०सी० शर्मा
6. डा० अमिता शर्मा
8. प्रो० मोहम्मद अरशद
10. डा० जैसवार गौतम लाल बिहारी
12. डा० उमेश चन्द्रा
14. प्रो० पी०के० सिंह
16. प्रो० यू०एन० शुक्ला
18. डा० एस० पी० सिंह (विशेष आमंत्रित सदस्य)
20. डा० रेनु अग्रवाल
22. प्रो० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा
24. डा० हरेन्द्र कुमार
26. डा० निर्मला यादव
28. डा० रूचि पाण्डेय
30. डा० वी०के० तौमर
32. डा० संजय जैन (विशेष आमंत्रित सदस्य)
34. डा० नरेन्द्र कुमार सिंह
36. प्रो० बिन्दु शेखर शर्मा
38. प्रो० संजीव शर्मा
40. प्रो० विनीता सिंह
42. प्रो० सन्तोष बिहारी शर्मा
3. प्रो० शरद चन्द्र उपाध्याय
5. डा० विजय कुमार सिंह (विशेष आमंत्रित सदस्य)
7. डा० लता चन्दोला
9. डा० बी०डी० शुक्ला
11. डा० यू०एन० सिंह
13. डा० प्रीति जौहरी
15. डा० दिव्या श्रीवास्तव
17. डा० के०पी० सिंह
19. डा० विपिन कुमार
21. डा० रिचा गुप्ता
23. प्रो० ब्रजेश रावत
25. प्रो० लवकुश मिश्रा
27. प्रो० अचला गक्खर
29. प्रो० एस०के० कठेरिया
31. प्रो० अजय तनेजा
33. डा० परवेन्द्र कुमार
35. प्रो० सुगम आनन्द
37. डा० एम०के० श्रीवास्तव
39. प्रो० मनोज श्रीवास्तव
41. प्रो० मीनाक्षी श्रीवास्तव
43. डा० मोहम्मद हुसैन

44. डा0 विवेक

46. डा0 हेम प्रकाश

48. डा0 प्रदीप कुमार

50. डा0 कुलदीप कुमार

52. डा0 विष्णु कुमार

54. डा0 संजय कुमार

56. डा0 राजीव वर्मा

45. डा0 ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह

47. डा0 वाई0 पी0 सिंह

49. डा0 दीपमाला श्रीवास्तव

51. प्रो0 अनिल वर्मा

53. प्रो0 संजय चौधरी

55. प्रो0 मनोज उपोद्घ्याय

57. प्रो0 बी0पी0 सिंह

श्री संजीव कुमार सिंह, - सचिव

बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में वित्त अधिकारी श्री ए0के0 सिंह एवं परीक्षा नियंत्रक श्री अजय कृष्ण यादव भी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम कुलसचिव श्री संजीव कुमार सिंह द्वारा बैठक के सदस्यों का स्वागत करते हुये माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का संचालन प्रारम्भ किया गया।

1. विद्या परिषद् द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 18.01.2021, ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म की बैठक दिनांक 14.05.2021 एवं वर्चुअल (Virtual) बैठक दिनांक 24.06.2021 की सम्पुष्टि पर विचार। (परिशिष्ट-1)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 18.01.2021, ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म की बैठक दिनांक 14.05.2021 एवं वर्चुअल (Virtual) बैठक दिनांक 24.06.2021 की उन सभी विषयों की सम्पुष्टि की गई जो विद्या परिषद् की बैठक के अनुक्रम में है तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में विद्या परिषद् का कार्यवृत्त तैयार करने के पश्चात् सभी सदस्यों को कार्यवृत्त की Soft copy उक्त निर्देश के साथ उपलब्ध करायी जाय कि यदि किसी सदस्य को परिषद् में लिये गये निर्णयों से कोई आपत्ति है तो तीन दिन के अन्दर e-mail से अपनी आपत्ति दर्ज कराये, तीन दिन के पश्चात् निर्णयों को यथावत् अनुमोदित मान लिया जायेगा तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में परीक्षा समिति एवम् प्रवेश समिति के कार्यवृत्त को अनुमोदन हेतु विद्या परिषद् में प्रस्तुत न किया जाय, सीधे कार्य परिषद् में प्रस्तुत किया जाय।

- 1(A). विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।


(परिशिष्ट-1(A))

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.12.2021 की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 06.01.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।



(परिशिष्ट-2)



निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 06.01.2022 की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा कुलपति जी के आदेशानुसार नई शिक्षा नीति-2020 के कियान्वयन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार किये गये बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट-3)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा कुलपति जी के आदेशानुसार नई शिक्षा नीति-2020 के कियान्वयन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार किये गये बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुये यह निर्णय लिया गया कि उक्त अध्यादेशों को शीघ्र अतिशीघ्र महामहिम कुलाधिपति जी के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाय।

4. विद्या परिषद् द्वारा Vocational Courses के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-4)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा Vocational Courses की सूची को अनुमोदन प्रदान करते हुये सूची में पाये गये कुछ संशोधनों के साथ संसूचित करने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

5. विद्या परिषद् द्वारा एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा की अध्ययन समिति की बैठक दिनांक 15.11.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-5)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा की अध्ययन समिति की बैठक दिनांक 15.11.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. विद्या परिषद् द्वारा ललित कला संकाय की बैठक दिनांक 16.12.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-6)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा ललित कला संकाय की बैठक दिनांक 16.12.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा ललित कला संकाय के संकायाध्यक्ष को संकाय की संस्तुतियों की जानकारी न होने पर विद्या परिषद् द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा दीक्षान्त समारोह में उनके अनुपस्थित रहने पर भी उनके कर्तव्यों के प्रति उनकी घोर लापरवाही मानते हुये आपत्ति जतायी गयी।

7. विद्या परिषद् द्वारा Industrial Microbiology की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 11.12.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-7)





निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा **Industrial Microbiology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 11.12.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. विद्या परिषद द्वारा **B.Sc. में Biotechnology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 04.12.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-8)

निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा **B.Sc. Biotechnology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 04.12.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. विद्या परिषद द्वारा **Industrial Chemistry** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 23.11.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-9)

निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा **Industrial Chemistry** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 23.11.2021 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. विद्या परिषद द्वारा बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) अन्तिम वर्ष एवं पोस्ट बेसिक (नर्सिंग) अन्तिम वर्ष के पाठ्यक्रम में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पाठ्यक्रम को समावेशित किये जाने एवं पाठ्यक्रम तथा अध्यादेश तैयार किये जाने हेतु कुलपति, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-10)

निर्णय:- विद्या परिषद द्वारा उक्त मद को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

11. विद्या परिषद द्वारा कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के पत्र संख्या-ई-2675/03-जी0एस0/202-VI दिनांक 24.05.2021 जो कि माननीय कुलपति जी को सम्बोधित है, के द्वारा श्री बाबू भाई थीबा बी/401 संजीव इनक्लेव जे0पी0, रोड़, सेवतु बंगलो गार्डन के पास, वारसोवा अधेरी(वेस्ट), मुम्बई के पत्र दिनांक 20/03/2021 के द्वारा श्री गुरु स्वरूप श्रीवास्तव को डाक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-11)

निर्णय:- उक्त मद परिषद द्वारा सर्व सम्मति से वापिस लिया गया।

12. विद्या परिषद द्वारा कु0 वंदना डी0 नागपाल सी0ए0 के ई0 मेल0 दिनांक 18.06.2021 के द्वारा सी0ए0 उपाधि को एम0कॉम0 (स्नातकोत्तर) उपाधि के समकक्ष मानते हुए वाणिज्य संकाय में पी0एच-डी0 की अनुमति में सम्बन्ध में विचार। (परिशिष्ट-12)




निर्णय:—उक्त मद को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया, तदोपरान्त अध्यक्ष द्वारा परिषद् के समक्ष यह विचार रखा गया कि इस तरह के मामलों में प्रकरणों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत न कर एक Policy निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें U.G.C. द्वारा लिये गये निर्णय, जो कि निम्नवत् है:—  
 “CA/CS/ICWA qualification be considered equivalent to PG Degree”  
 का लाभ सभी अर्ह छात्रों को प्राप्त हो सकें तथा इसको लागू करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु परिषद् द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

13. विद्या परिषद् द्वारा डा0 पुनीता पाण्डेय के शोध पर मूल्यांकन करने वाले दोनों बाह्य परीक्षकों में से एक का नाम अंकित न होने की स्थिति में स्टेटस प्रमाण-पत्र 2009 निर्गत करने पर विचार। (परिशिष्ट-13)

निर्णय:—विद्या परिषद् द्वारा डा0 पुनीता पाण्डेय के शोध मूल्यांकन की द्वितीय पत्रावली तैयार करने की अनुमति प्रदान की गयी एवम् परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के सभी प्रकरणों पर निर्णय लेने हेतु संकायाध्यक्ष शोध एवम् कुलपति जी के निर्देशन में एक समिति बनाकर इस तरह के प्रकरणों का निस्तारण किया जाय।

14. विद्या परिषद् द्वारा शोध विभाग के प्रस्ताव एम0 फिल0 तथा पी0एच-डी0 शोध प्रबन्ध जमा करने की अन्तिम तिथि 30.06.2022 तक विस्तारित करने पर विचार। (परिशिष्ट-14)

निर्णय:—विद्या परिषद् द्वारा शोध विभाग के प्रस्ताव एम0 फिल0 तथा पी0एच-डी0 शोध प्रबन्ध जमा करने की अन्तिम तिथि 30.06.2022 तक विस्तारित करने को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त के लिए छात्रों से किसी भी प्रकार की Late Fees नहीं ली जायेगी।

### विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06.01.2022 का पूरक कार्यवृत्त

1. विद्या परिषद् द्वारा प्रो0 प्रदीप श्रीधर, निदेशक, के0एम0आई0, आगरा के प्रस्ताव डा0 योगेन्द्र कुमार शर्मा को संस्कृत विभाग में किये गये शोध का स्टेट्स सर्टीफिकेट प्रदान किये जाने हेतु द्वितीय पत्रावली तैयार किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-1)

निर्णय:— विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. विद्या परिषद् द्वारा प्रो0 प्रदीप श्रीधर, निदेशक, के0एम0आई0, आगरा के प्रस्ताव डा0 केशव कुमार शर्मा को हिन्दी विभाग में किये गये शोध का स्टेट्स सर्टीफिकेट प्रदान किये जाने हेतु द्वितीय पत्रावली तैयार किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-2)





निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा **Library & Information Science** विषय की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 16.01.2021 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-3)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा **Library & Information Science** विषय की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 16.01.2021 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की बैठक दिनांक 01.01.2022 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-4)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की बैठक दिनांक 01.01.2022 की पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

- संकायाध्यक्ष शिक्षाशास्त्र एवम् संकायाध्यक्ष मेडिसिन के प्रस्ताव परीक्षार्थे समय से कराये जाने पर विचार।  
निर्णय:- उक्त मद पर विचार विमर्श करते हुये परीक्षा नियंत्रक की तरफ से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि Supplementary Examination/Re-Exam. के पश्चात् Challenge Evaluation को समाप्त किया जाता है, जिस पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
- संकायाध्यक्ष शोध के डी०लिट् एवम् डी०एस०सी० के अध्यादेशों को Revise करने के प्रस्ताव पर विचार।  
निर्णय:- उक्त प्रस्ताव पर कुलपति जी को एक समिति गठित करने हेतु अधिकृत किया गया।
- संकायाध्यक्ष, कृषि के प्रस्ताव पर विचार।  
निर्णय:-संकायाध्यक्ष कृषि को B.Sc. Agriculture के अध्यादेश में किसी भी प्रकार की समस्याओं को कुलसचिव से मिलकर निस्तारित करने हेतु अधिकृत किया गया।
- संकायाध्यक्ष शोध प्रो० अजय तनेजा के प्रस्ताव पी०एच-डी० रेगुलेशन-2018 के बिन्दु संख्या-7(d) में परिवर्तन किये जाने पर विचार।  
निर्णय:-प्रो० अजय तनेजा द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि पी०एच-डी० रेगुलेशन-2018 में सुपरवाइजर परिवर्तित करने के लिए निम्न व्यवस्था दी गई है:-

**“7(d). No Change of supervisor shall ordinarily be allowed, but in special cases, where the Head of the Department is satisfied that the research work of a scholar with suffer-**

- (i) On account of migration, retirement, long leave, or for any other reason, the supervisor may not be available to guide the scholar, or





- (ii) As the supervisor is not willing to, or not in a position to supervise to the Vice-Chancellor through the Dean of Faculty or the Director of Institute who may allow change of the supervisor.


The RDC, at its discretion may also decide whether change of supervisor will require fresh registration of the scholar."

उक्त के अनुसार विशेष परिस्थितियों में आर०डी०सी० द्वारा सुपरवाइजर परिवर्तित किया जाता है। प्रो० अजय तनेजा द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों के बहुत सारे प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराये जाने के लिए आर०डी०सी० की बैठक बार-बार बुलाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण आर०डी०सी० द्वारा गठित Sub-Committee से कराये जाने हेतु रेगुलेशन में वर्णित व्यवस्था The RDC, at its discretion may also decide whether change of supervisor will require fresh registration of the scholar को The RDC/RDC Sub-Committee at its discretion may also decide whether change of supervisor will require fresh registration of the scholar पढ़ा जाय।

विद्या परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

  
कुलसचिव

  
कुलपति





# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

## विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2022 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2022 को पूर्वाह्न 1:00 बजे Zoom Platform पर आहूत हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

प्रो० विनय कुमार पाठक (अध्यक्ष) – कुलपति

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 2. प्रो० अजय तनेजा, प्रति कुलपति | 3. प्रो० संजीव कुमार            |
| 4. प्रो० यू०सी० शर्मा            | 5. डा० कुलदीप कुमार             |
| 6. प्रो० अचला गक्खर              | 7. प्रो० वी०के० सारस्वत         |
| 8. प्रो० संजय चौधरी              | 9. डा० जैसवार गौतम लाल बिहारी   |
| 10. डा० आर०के० अग्निहोत्री       | 11. डा० अमिता शर्मा             |
| 12. प्रो० दीपमाला श्रीवास्तव     | 13. डा० एन०के० सिंह             |
| 14. डा० निशा अग्रवाल             | 15. डा० राजीव वर्मा             |
| 16. डा० विवेक                    | 17. प्रो० मनोज कुमार श्रीवास्तव |
| 18. प्रो० मनोज कुमार उपाध्याय    | 19. डा० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा  |
| 20. डा० के०पी० सिंह              | 21. प्रो० यू०एन० शुक्ला         |
| 22. प्रो० अनिल कुमार वर्मा       | 23. प्रो० मनुप्रताप सिंह        |
| 24. प्रो० बिन्दुशेखर शर्मा       | 25. प्रो० वी०पी० सिंह           |
| 26. डा० बी०डी० शुक्ला            | 27. प्रो० मोहम्मद अरशद          |
| 28. प्रो० पी०के० सिंह            | 29. प्रो० प्रदीप श्रीधर         |
| 30. प्रो० शरद उपाध्याय           | 31. प्रो० सुगम आनन्द            |
| 32. प्रो० विनीता सिंह            | 33. डा० रनवीर सिंह              |
| 34. डा० प्रीति जौहरी             | 35. डा० विवेक द्विवेदी          |
| 36. डा० सुकेश कुमार              | 37. डा० राधा अग्रवाल            |
| 38. डा० शैलेन्द्र प्रताप सिंह    | 39. डा० निर्मला यादव            |
| 40. प्रो० यू०सी० शर्मा           |                                 |

श्री संजीव कुमार सिंह, - सचिव

बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में परीक्षा नियंत्रक श्री अजय कृष्ण यादव भी शामिल रहे।

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा बैठक के सदस्यों का स्वागत करते हुये माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का संचालन प्रारम्भ किया गया।

1. विद्या परिषद् द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 06.01.2022 की सम्पुष्टि पर विचार। (परिशिष्ट-1)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 06.01.2022 को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 02.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-2)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 02.06.2022 की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-3)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 03.06.2022 की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. विद्या परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के अर्न्तगत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम 03 वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्राणाली लागू करने विषयक शासनादेश संख्या 1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020 दिनांक 20.04.2022 के निर्देशानुसार विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में लागू किये गये परीक्षा नियंत्रक के पत्र संख्या सी0ओ0ई0/327/022 दिनांक 12.05.2022 के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-4)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के अर्न्तगत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम 03 वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्राणाली लागू करने विषयक शासनादेश संख्या 1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020 दिनांक 20.04.2022 के निर्देशानुसार विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में लागू किये गये परीक्षा नियंत्रक के पत्र संख्या सी0ओ0ई0/327/022 दिनांक 12.05.2022 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ग्रेडिंग प्राणाली को परास्नातक स्तर पर भी लागू किया जाय।



5. विद्या परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी0सी0 दिनांक 13 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-4 में दिये गये निर्देशों के अर्न्तगत परास्नातक एवं पी0एच-डी0 पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों एम0ए0/एस0एस0सी0/एम0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू किये जाने हेतु डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा तैयार की गई नियमावली के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-5)
- निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
6. विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या No. F.1-10/2021(CPP-II) दिनांक 17 मई, 2022, जिसके द्वारा शोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 06 माह विस्तारित कर दी गई है, से अवगत कराना एवं अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-6)
- निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।
7. विद्या परिषद् द्वारा आई0क्यू0ए0सी0 (Internal Quality Assurance Cell) की दिनांक 16 मई, 2022 को आहूत हुई बैठक की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-7)
- निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा आई0क्यू0ए0सी0 (Internal Quality Assurance Cell) की दिनांक 16 मई, 2022 को आहूत हुई बैठक की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
8. विद्या परिषद् द्वारा सामान्य अंग्रेजी व अंग्रेजी भाषा को समान पाठ्यक्रम किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या:शैक्षिक/1088/22 27.04.2022 दिनांक के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-8)
- निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद की सरहना करते हुये हर्ष व्यक्त किया गया एवं सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
9. विद्या परिषद् द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के अनुक्रम में सत्र 2021-22 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा एवं पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में डीन अकादमिक द्वारा दिनांक 02.02.2022 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त से अवगत कराना एवं अनुमोदन पर (परिशिष्ट-9)
- टिप्पणी:- उक्त संस्तुतियाँ का अनुमोदन पूर्व में ही परीक्षा समिति एवं कार्य परिषद् द्वारा किया जा चुका है। चूंकि दिनांक 02.02.2022 के पश्चात् विद्या परिषद् दिनांक 04.06.2022 को आहूत हुई है। अतः अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।
- निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद को अनुमोदन प्रदान किया गया।

10. विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की बैठक दिनांक 01.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-10)  
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा कला संकाय की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
11. विद्या परिषद् द्वारा विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 01.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-11)  
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा विज्ञान संकाय की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
12. विद्या परिषद् द्वारा वाणिज्य संकाय की बैठक दिनांक 01.06.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।  
(परिशिष्ट-12)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा वाणिज्य संकाय की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
13. विद्या परिषद् द्वारा **Department of Microbiology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 12.02.2022 की संस्तुतियों से अवगत कराना एवं अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-13)  
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त मद से अवगत हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।
14. विद्या परिषद् द्वारा **Department of Botany** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 17.02.2022 द्वारा **Seed Technology** पाठ्यक्रम की संस्तुतियों से अवगत कराना एवं अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-14)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा उक्त पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
15. विद्या परिषद् द्वारा सेठ पदम चन्द्र संस्थान, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 05.03.2022 द्वारा "**Office Management & Secretarial Practice**" (Om & SP) पाठ्यक्रम की संस्तुतियों से अवगत कराना एवं अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-15)  
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त पाठ्यक्रम सम्बन्धी संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
16. विद्या परिषद् द्वारा बेसिक विज्ञान संस्थान, खन्दारी, आगरा में **Department of Chemistry** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 14.05.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-16)  
निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
17. विद्या परिषद् द्वारा सत्र 2022-23 से बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में 60 सीटों का एक अतिरिक्त सैक्शन प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में सेठ पदम चन्द्र जैन संस्थान, खन्दारी, आगरा के विभागाध्यक्ष प्रो0 ब्रजेश रावत के पत्र दिनांक 25.05.2022 पर विचार। (परिशिष्ट-17)  
निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा सत्र 2022-23 से बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में 60 सीटों का एक अतिरिक्त सैक्शन प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में सेठ पदम चन्द्र जैन संस्थान, खन्दारी, आगरा के विभागाध्यक्ष प्रो0 ब्रजेश रावत के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।



18. विद्या परिषद् द्वारा **Institute of Social Science**, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 26.04.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-18)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

19. विद्या परिषद् द्वारा क0मु0 हिन्दी एवं भाषा विज्ञान विद्यापीठ, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 30.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-19)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों के सम्बन्ध में विचार विमर्शोपरान्त यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

20. विद्या परिषद् द्वारा गृह विज्ञान संस्थान, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 26.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-20)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

21. विद्या परिषद् द्वारा ललित कला संस्थान की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 30.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-21)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

22. विद्या परिषद् द्वारा दाऊदयाल इन्स्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 23.05.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-22)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

23. विद्या परिषद् द्वारा स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, खन्दारी आगरा के अर्न्तगत **Department of Zoology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 24.05.2022, **Department of Forestry** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 22.05.2022, **Department of Biochemistry** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2022, **Department of Botany** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2022, **Department of Environmental Studies** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 21.05.2022, **Department of Microbiology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2022 एवं **Department of Biotechnology** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 21.05.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-23)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त समस्त एकेडेमिक कमेटी की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

24. विद्या परिषद् द्वारा बेसिक विज्ञान संस्थान, खन्दारी आगरा के अर्न्तगत **Department of Mathematics** की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-24)



निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा बेसिक विज्ञान संस्थान, खन्दारी आगरा के अर्न्तगत **Department of Mathematics**

की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

25. विद्या परिषद् द्वारा इन्स्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड होटल मैनेजमेंट, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 19.05.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-25)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

26. विद्या परिषद् द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 28.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-26)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

27. विद्या परिषद् द्वारा **Department of Pharmacy** खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 07.03.2022 एवं 23.05.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-27)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

28. विद्या परिषद् द्वारा **Department of Computer Science**, आई०ई०टी० खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-28)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

29. विद्या परिषद् द्वारा **Department of Physics** खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-29)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

30. विद्या परिषद् द्वारा **Department of Physical Education** छलेसर, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-30)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

31. (i) विद्या परिषद् द्वारा इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रो० सुगम आनन्द के पत्र दिनांक 09.05.2022 के अनुमोदन पर विचार, जिसके द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के निर्देशानुसार परास्नातक पाठ्यक्रमों की संरचना प्रस्तुत की गयी है।

- (ii) इतिहास विभाग की एकेडेमिक कमेटी की दिनांक 31.05.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार।

(परिशिष्ट-31)

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को सम्यक् गहन विचार विमर्शोपरान्त यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

32. विद्या परिषद् द्वारा **Department of Library & Information Science**, पालीवाल पार्क, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 29.04.2022 की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (परिशिष्ट-32)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा उक्त संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

33. विद्या परिषद् द्वारा **स्कूल ऑफ लाइफ साइंस संस्थान**, खन्दारी, आगरा में परास्नातक स्तर पर नई शिक्षा नीति-2020 के अर्न्तगत तैयार किये गये पाठ्यक्रमों एवं सम्बन्धित अध्यादेशों हेतु आहूत की गई निम्न एकेडेमिक कमेटी की संस्तुतियों के अनुमोदन पर विचार। (संलग्नक-33)

- (i) **Department of Environmental Studies** दिनांक 02.06.2022।
- (ii) **Department of Zoology** दिनांक 02.06.2022।
- (iii) **Department of Microbiology** दिनांक 02.06.2022।
- (iv) **Department of Biotechnology** दिनांक 03.06.2022।
- (v) **Department of Botany** दिनांक 03.06.2022।
- (vi) **Department of Biochemistry** दिनांक 03.06.2022।

निर्णय:-विद्या परिषद् द्वारा उक्त समस्त एकेडेमिक कमेटी की संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

1. विद्या परिषद् द्वारा प्रति कुलपति प्रो0 अजय तनेजा के Teaching Assistantship to Research Student Registered in RW Department विषयक पत्र दिनांक 01.06.2022 पर विचार। (परिशिष्ट-1)

निर्णय:- विद्या परिषद् द्वारा प्रति कुलपति प्रो0 अजय तनेजा के उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में कुलसचिव द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

  
कुलसचिव

  
कुलपति



# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 14.11.2022 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 14.11.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे जुबली हॉल, पालीवाल पार्क, आगरा में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

प्रो० आशू रानी (अध्यक्ष) - कुलपति

2. प्रो० अजय तनेजा (प्रति कुलपति)
3. डा० विवेक
4. प्रो० दीपमाला श्रीवास्तव
5. प्रो० गुंजन चतुर्वेदी
6. डा० रेनू वाला गर्ग
7. प्रो० निशा अग्रवाल
8. प्रो० परवेन्द्र कुमार
9. प्रो० विजय कुमार सिंह
10. डा० जैसवार गौतम लाल बिहारी
11. प्रो० अर्चना सिंह
12. प्रो० मीनाक्षी श्रीवास्तव
13. डा० प्रीति जौहरी
14. डा० कल्पना वाजेपयी
15. प्रो० हेमा पाठक
16. डा० लता चन्दौला
17. प्रो० अजय त्यागी
18. प्रो० स्मिता श्रीवास्तव
19. प्रो० अमिता शर्मा
20. प्रो० विन्दुशेखर शर्मा
21. प्रो० ब्रजेश रावत
22. प्रो० वी०पी० सिंह
23. प्रो० अनिल गुप्ता (विशेष आमंत्रित सदस्य)
24. प्रो० अचला गकखर
25. प्रो० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा
26. डा० आर०के० भारती
27. प्रो० वी०के० सारस्वत
28. प्रो० अनिल कुमार वर्मा
29. प्रो० एम०के० उपाध्याय
30. प्रो० प्रदीप श्रीधर
31. प्रो० अलका शर्मा
32. प्रो० संजीव कुमार
33. प्रो० शरद चन्द्र उपाध्याय
34. प्रो० यू०एन० शुक्ला
35. डा० राधा रानी गुप्ता
36. डा० आर०के० शुक्ला
37. डा० रामवीर सिंह चौहान
38. डा० संजय कुमार
39. डा० मनोज कुमार श्रीवास्तव
40. डा० ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह
41. डा० के०पी० सिंह
42. डा० राजीव द्विवेदी
43. डा० दुर्गा चरन मिश्रा
44. प्रो० वी०डी० शुक्ला
45. प्रो० आर०के०एस० धाकरे



- |   |   |
|---|---|
| 46. प्रो० मोहम्मद अरशद                                  | 47. प्रो० यू०सी० शर्मा                            |
| 48. प्रो० सुगम आनन्द                                    | 49. प्रो० अवनीश कुमार                             |
| 50. प्रो० एस०पी० सिंह                                   | 51. डा० राजेश कुशवाह                              |
| 52. प्रो० प्रदीप कुमार वर्मा                            | 53. डा० एस०के० जैन                                |
| 54. डा० ए०सी० गुप्ता                                    | 55. डा० संजय जैन (विशेष आमंत्रित सदस्य)           |
| 56. डा० सीमा भदौरिया(विशेष आमंत्रित सदस्य)              | 57. डा० नीलम यादव                                 |
| 58. प्रो० विनीता सिंह                                   | 59. डा० एस० सी० सिंघल                             |
| 60. डा० सिद्धार्थ                                       | 61. प्रो० रनवीर सिंह                              |
| 62. डा० वीरेन्द्र सिंह चौहान                            | 63. प्रो० यशपाल सिंह                              |
| 64. डा० एस०बी० शर्मा                                    | 65. प्रो० संजय चौधरी                              |
| 66. डा० अखिलेश चन्द्र सक्सैना<br>(विशेष आमंत्रित सदस्य) | 67. डा० विजय कुमार सिंह<br>(विशेष आमंत्रित सदस्य) |

डा० विनोद कुमार सिंह, - सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बैठक में उपस्थित कुलपति जी द्वारा नामित बाह्य विशेषज्ञों प्रो० अवनीश कुमार, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी, प्रो० अलका शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान एवम् प्रो० राजेश धाकरे, कुलपति, एम०एस०जे० ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर की उपस्थिति पर हर्ष व्यक्त करते हुये विद्या परिषद् के सदस्यों के साथ उनका परिचय कराया गया तथा डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की विद्या परिषद् में बाह्य विशेषज्ञ नामित किये जाने पर उन्हें बधाई देते हुए करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया गया, तत्पश्चात् विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा कुलपति जी को डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनने पर बधाई दी गई एवं हर्ष व्यक्त किया गया, जिसके लिए कुलपति जी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया, तदोपरान्त कुलपति की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद संख्या-1	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2022 का कार्यवृत्त सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-1)
निर्णय:-	उक्त मद पर चर्चा के प्रारम्भ में डा० वीरेन्द्र चौहान द्वारा बाह्य विशेषज्ञों के बैठक में उपस्थित होने पर हर्ष व्यक्त किया गया एवम् डा० यशपाल सिंह एवं डा० वीरेन्द्र चौहान द्वारा कार्यसूची के समस्त मदों के संलग्नक बैठक पूर्व से सभी सदस्यों को प्रेषित न किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, जिस पर सचिव द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि विस्तृत कार्य सूची सभी सदस्यों को, उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई०मेल०आई०डी० पर प्रेषित की गई है, जिस पर बाह्य विशेषज्ञ प्रो० राजेश धाकरे द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये कहा गया लगभग 4000 पेजों के संलग्नकों की Hard कॉपी सभी सदस्यों को प्रेषित किया जाना व्यवहारिक नहीं है, तत्पश्चात् विद्या

	परिषद् की बैठक दिनांक 04.06.2022 की संस्तुतियों को परिषद् के समक्ष पढ़ा गया, सर्वसम्मति से परिषद् द्वारा कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी।
मद संख्या-2 निर्णय:-	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 08.08.2022 की संस्तुतियाँ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-2) सचिव द्वारा परीक्षा समिति की संस्तुतियों को परिषद् के समक्ष विस्तृत रूप से पढ़कर प्रस्तुत किया गया। डा0 यशपाल सिंह द्वारा प्रश्न किया गया कि बैठक ऑन लाइन थी या ऑफ लाइन, जिस पर सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक दोनों ही Mode में आहूत हुई थी। तत्पश्चात् चर्चा के उपरान्त उक्त संस्तुतियों को सर्वसम्मति से यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-3	कला संकाय की बैठक दिनांक 30.09.2022 की संस्तुतियाँ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-3) टिप्पणी:- NEP-2020 के निर्देशानुसार अध्ययन समितियों द्वारा स्नातक स्तर पर III, IV, V एवं VI सेमिस्टर के पाठ्यक्रमों की समीक्षा करते हुये लगभग 25 प्रतिशत तक पाठ्यक्रम संशोधित किये गये एवं कुछ विषयों में शासन से प्राप्त पाठ्यक्रमों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया तथा परास्नातक स्तर पर सभी विषयों के पाठ्यक्रमों की NEP-2020 की Guidelines के अनुसार 100 प्रतिशत नवीन संरचना की गयी। जिनका अनुमोदन कला संकाय द्वारा किया गया। पाठ्यक्रम निम्नवत् है:- (i) English (ii) Hindi (iii) Sanskrit (iv) Philosophy (v) Psychology (vi) Economics (vii) Political Science (viii) Geography (ix) Sociology (x) Ancient History & Culture

- (xi) Home Science
- (xii) B.V.R.I.(1. Village Industries 2. Rural Banking  
3. Horticulture 4. C.D. Extension 5. Co-operation )
- (xiii) Military Studies.
- (xiv) Education.
- (xv) Urdu.
- (xvi) History.
- (xvii) Physical Education

निर्णय:-

उक्त मद पर चर्चा प्रारम्भ होते ही सदस्य डा० वीरेन्द्र चौहान द्वारा Objection उठाया गया कि परास्नातक स्तर पर इसी सत्र से पाठ्यक्रम लागू किया जाना न्याय संगत नहीं होगा, जिस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि पाठ्यक्रम तो वही है, परन्तु संरचना नई है। वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम को छमाही परीक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया गया है। अतः इसे लागू किये जाने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि परीक्षा 15 से 20 दिन विलम्ब से प्रारम्भ किया जाना उचित होगा। डा० वीरेन्द्र चौहान द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि NEP-2020 के अर्न्तगत समान पाठ्यक्रम लागू किया जाना है, तो क्या विश्वविद्यालय आवासीय इकाई में संचालित पाठ्यक्रम एवम् महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम समान है? प्रतिउत्तर में डीन एकेडेमिक द्वारा अवगत कराया गया कि जो विषय विश्वविद्यालय आवासीय इकाई एवम् महाविद्यालयों में समान रूप से संचालित है उन विषयों का पाठ्यक्रम आवासीय इकाई की एकेडेमिक कमेटी के सदस्य एवम् महाविद्यालयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्यों द्वारा सम्मिलित रूप से तैयार किया गया है, जैसे की **Chemistry, Zoology, Botany, Statistics, Hindi, History, Home Science** इत्यादि।

परिषद् सदस्य प्रो० बी०डी० शुक्ला द्वारा कहा गया सभी पाठ्यक्रम 52 Credits के हैं, जबकि इतिहास की अध्ययन समिति द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम 48 Credits का है, उक्त के सम्बन्ध में विशेष आमंत्रित सदस्य प्रो० संजय जैन द्वारा अवगत कराया गया कि 04 Credit Minor पेपर के भी है।

बाह्य विशेषज्ञ प्रो० अवनीश कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में भी तीन तरह से पाठ्यक्रम बनाये गये है। Minor पाठ्यक्रम एवं वोकेशनल पाठ्यक्रमों के लिए सभी को स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

अध्यक्ष महोदया द्वारा कहा गया कि Project Work को Inter disciplinary किया जा सकता है, जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई।

परिषद् सदस्य प्रो० राजीव शुक्ला द्वारा शंका व्यक्त की गयी कि सत्र 2022-23 में परास्नातक स्तर पर जो प्रवेश लिये गये है, क्या उन पर NEP-2020 लागू है, जिस पर विशेष आमंत्रित सदस्य प्रो० वी०के० सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि प्रवेश NEP-2020 के अर्न्तगत ही लिये गये है, जिसके Admission Rules पूर्व से ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित है।

उपरोक्त विस्तृत चर्चा के उपरान्त कला संकाय की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या-4

विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 30.09.2022 की संस्तुतियाँ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।


(परिशिष्ट-4)

टिप्पणी:- NEP-2020 के निर्देशानुसार अध्ययन समितियों द्वारा स्नातक स्तर पर III, IV, V एवं VI सेमिस्टर के पाठ्यक्रमों की समीक्षा करते हुये लगभग 25 प्रतिशत तक पाठ्यक्रम संशोधित किये गये एवं कुछ विषयों में शासन से प्राप्त पाठ्यक्रमों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया तथा परास्नातक स्तर पर सभी विषयों के पाठ्यक्रमों की NEP-2020 की Guidelines के अनुसार 100 प्रतिशत नवीन संरचना की गयी। जिनका अनुमोदन विज्ञान संकाय द्वारा किया गया।


पाठ्यक्रम निम्नवत् है:-

- (i) Chemistry
- (ii) Mathematics
- (iii) Botany
- (iv) Statistics
- (v) Zoology
- (vi) Physics

निर्णय:-	परिषद् द्वारा विज्ञान संकाय की संस्तुतियों पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।
मद संख्या-5	<p>वाणिज्य संकाय की बैठक दिनांक 30.09.2022 की संस्तुतियाँ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-5)</p> <p>टिप्पणी:- NEP-2020 के निर्देशानुसार अध्ययन समितियों द्वारा स्नातक स्तर पर III, IV, V एवं VI सेमिस्टर के पाठ्यक्रमों की समीक्षा करते हुये लगभग 25 प्रतिशत तक पाठ्यक्रम संशोधित किये गये एवं कुछ विषयों में शासन से प्राप्त पाठ्यक्रमों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया तथा परास्नातक स्तर पर सभी विषयों के पाठ्यक्रमों की NEP-2020 की Guidelines के अनुसार 100 प्रतिशत नवीन संरचना की गयी। जिनका अनुमोदन वाणिज्य संकाय द्वारा किया गया।</p> <p>पाठ्यक्रम निम्नवत् है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Business Administration</li> <li>(ii) Applied Business Economics</li> <li>(iii) Accounts &amp; Law</li> </ol>
निर्णय:-	<p>परिषद् द्वारा वाणिज्य संकाय की संस्तुतियों पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।</p> <p>परिषद् सदस्य डा० ए०सी० गुप्ता द्वारा कहा गया कि शासन द्वारा NEP पाठ्यक्रम में Commerce को केवल Commerce माना गया है, न कि 03 विभागों में विभाजित किया गया है। प्रतिउत्तर में सदस्य डा० एस०सी० सिंघल द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम में वाणिज्य पहले से ही 03 विभागों में विभाजित है। अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि कृपया आप लोग अपना-अपना प्रत्यावेदन लिखकर प्रस्तुत करें। डा० सिद्धार्थ द्वारा अवगत कराया गया कि वाणिज्य का 03 विभागों में विभाजन ही न्याय संगत है, क्योंकि विषय विशेषज्ञता आवश्यक है। उक्त कथन पर अधिकतर सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी।</p>

मद संख्या-6	<p>ललित कला संकाय की बैठक दिनांक 30.09.2022 की संस्तुतियाँ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-6)</p> <p>टिप्पणी:- NEP-2020 के निर्देशानुसार अध्ययन समितियों द्वारा स्नातक स्तर पर III, IV, V एवं VI सेमिस्टर के पाठ्यक्रमों की समीक्षा करते हुये लगभग 25 प्रतिशत तक पाठ्यक्रम संशोधित किये गये एवं कुछ विषयों में शासन से प्राप्त पाठ्यक्रमों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया तथा परास्नातक स्तर पर सभी विषयों के पाठ्यक्रमों की NEP-2020 की Guidelines के अनुसार 100 प्रतिशत नवीन संरचना की गयी। जिनका अनुमोदन ललित कला संकाय द्वारा किया गया।</p> <p>पाठ्यक्रम निम्नवत् है:-</p> <p>(i) Music (ii) Drawing &amp; Painting</p> <p>निर्णय:- परिषद् द्वारा ललित कला संकाय की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
मद संख्या-7	<p>गृह विज्ञान संस्थान, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 31.08.2022 की संस्तुतियाँ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। (परिशिष्ट-7)</p> <p>टिप्पणी:- गृह विज्ञान संस्थान, खन्दारी, आगरा द्वारा NEP-2020 के निर्देशानुसार B.Sc. Home Science के रूप में सत्र 2022-23 से प्रारम्भ करने की संस्तुति की गई है तथा B.Sc. Home Science के अर्न्तगत Minor पाठ्यक्रम Curricular पाठ्यक्रम एवं वोकेशनल पाठ्यक्रम की भी संस्तुति की गई है।</p> <p>निर्णय:- एकेडेमिक कमेटी की संस्तुतियों में B.Sc. Home Science(Regular Course) अंकित होने के कारण परिषद् द्वारा निदेशिका गृह विज्ञान संस्थान को अवगत कराया गया कि कोई भी नवीन पाठ्यक्रम Regular Mode में बिना शासन की अनुमति के प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है, जिस पर निदेशिका प्रो० अचला गक्खर द्वारा स्पष्ट किया गया कि B.Sc. Home Science नवीन पाठ्यक्रम नहीं है, बल्कि पूर्व से ही संचालित Regular पाठ्यक्रम है, जिसके पाठ्यक्रम को</p>



	<p>NEP-2020 की <b>Guidelines</b> के अनुसार परिवर्तित कर सत्र 2022-23 से प्रारम्भ करने की संस्तुति की गयी है।</p> <p>तदोपरान्त उक्त मद को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
मद संख्या-8	<p>विश्वविद्यालय कम्प्यूटर सेन्टर, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 30.04.2022 की संस्तुतियाँ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।</p> <p>(परिशिष्ट-8)</p> <p>टिप्पणी:- B.C.A. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम आर्हतायें निर्धारित की गयी तथा VI सेमिस्टर में viz. Python Programming (C-601) and Software Engineering (C-602) जोड़े गये तथा सत्र 2022-23 से 60-60 सीटों के 02 सैक्शन बढ़ाने हेतु संस्तुति की गयी।</p> <p>निर्णय:- परिषद् द्वारा उक्त मद पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
मद संख्या-9	<p>विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान, खन्दारी, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 01.09.2022 की संस्तुतियाँ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।</p> <p>(परिशिष्ट-9)</p> <p>टिप्पणी:- बैठक में निम्न बिन्दुओं पर संस्तुति की गई:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) To finalize the Curriculum/Syllabi for Diploma Courses in Civil Engineering, Computer Science Engineering Electrical Engineering and Mechanical Engineering.</li> <li>(ii) Proposal for "M.Sc. in Electronics" in ECE Department.</li> <li>(iii) Proposal for "PG Diploma in Machine Learning and Artificial Intelligence" in CSE Department</li> </ol> <p>निर्णय:- एकेडेमिक कमेटी की संस्तुतियों के बिन्दु संख्या (ii) पर विचार विमर्श करते हुये परिषद् सदस्य प्रो० वी०के० सारस्वत द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में पूर्व से ही दाऊदयाल संस्थान में संचालित है। अतः परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिन्दु संख्या-(ii) को स्थगित करते हुये एकेडेमिक कमेटी की अन्य संस्तुतियों को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>

*[Handwritten signature]*

मद संख्या-10	<p><b>Department of Physical Education</b> छलेसर, आगरा की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 17.09.2022 की संस्तुतियाँ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।</p>
	(परिशिष्ट-10)
	टिप्पणी:- निम्न पाठ्यक्रमों को सत्र 2022-23 से प्रारम्भ किये जाने की संस्तुति की गई है:-
	<p>(i) <b>M.P.E.S. Two Years Four Semester Course.</b></p> <p>(ii) <b>One Year P.G. Diploma in Yoga Education</b></p> <p>(iii) <b>B.A. in Yoga Three Year Course</b></p> <p>(iv) <b>M.A. in Yoga</b></p>
निर्णय:-	<p>उक्त संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया, साथ ही परिषद् द्वारा यह सुझाव दिये गये कि सत्र 2022-23 से प्रारम्भ हुये नवीन पाठ्यक्रमों की <b>Viability</b> भी देख ली जाय, जिस पर माननीय कुलपति द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि एकेडेमिक ऑडिट समिति गठित है, जिसके द्वारा एकेडेमिक ऑडिट के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जायेगी एवम् उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय किया जायेगा कि आगामी सत्र में किन पाठ्यक्रमों को निरन्तर रखना है एवम् किन पाठ्यक्रमों को निरन्तर नहीं रखना है। कमेटी को यह देखना होगा कि सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों में से कौन-कौन से पाठ्यक्रम <b>Viable</b> है तथा छात्रों को आकर्षित करने में सक्षम है अथवा नहीं। माननीय कुलपति द्वारा यह अवगत कराया गया कि 02 वर्षों तक प्रयास करने पर यदि अपेक्षित प्रवेश नहीं होता है तो विद्या परिषद् में निर्णय लिया जायेगा। एकेडेमिक ऑडिट समिति की संस्तुतियों के अनुसार निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। परिषद् सदस्य प्रो० ब्रजेश रावत द्वारा यह सुझाव दिया गया कि किसी भी पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व पाठ्यक्रम के उद्देश्य आय-व्यय इत्यादि के सम्बन्ध में एक कार्य योजना तैयार किया जाना आवश्यक है, जिस पर परिषद् द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।</p>
मद संख्या-11	<p>प्राचार्य, बी०वी०आर०आई० बिचपुरी, आगरा के पत्र दिनांक 30.05.2022 पर विचार किया जाना, जिसके द्वारा उन्होंने ग्रामीण विज्ञान/संकाय की स्थापना हेतु अनुरोध किया है।</p>
	(परिशिष्ट-11)

*(Handwritten signature)*



निर्णय:-

उक्त मद के सम्बन्ध में प्रो० सीमा भदौरिया द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि बलवन्त विद्यापीठ रूरल इन्स्टीट्यूट, बिचपुरी, आगरा की स्थापना बहुत ही प्राचीन है, जिसमें संचालित विषय बहुत ही Valuable है, उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सम्पूर्ण भारत वर्ष में इस प्रकार के केवल 11 संस्थान हैं, जिसमें से एक हमारे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, जोकि हमारे लिए गौरव की बात है। उक्त संस्थान में संचालित विषय अभी तक कला संकाय के अन्तर्गत ही संचालित थे, परन्तु दिनांक 15.06.2021 के शासनादेश में ग्रामीण विज्ञान संकाय पृथक रूप से अंकित है। अतः उक्त के आधार पर ग्रामीण संकाय का गठन किया जाना उचित होगा, जिस पर अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश के अन्तर्गत दिनांक 16.06.2021 के शासनादेश संकायों के विषय में निम्न बात कही गयी है:-

"संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विश्वविद्यालय विशेष में प्रचलित संकाय एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ववत् चलती रहेगी।"

बाह्य विशेषज्ञ प्रो० राजेश धाकरे द्वारा कहा गया कि नवीन संकाय का गठन एक जटिल प्रक्रिया है, जिस पर हमें गम्भीरता से निर्णय लेना आवश्यक होगा, जिस पर डा० सीमा भदौरिया द्वारा यह निवेदन किया गया कि उक्त कार्य हेतु एक समिति का गठन कर दिया जाय, जिसके द्वारा नवीन संकाय के गठन हेतु जो भी प्रक्रिया होती हो, उसके लिए रिपोर्ट तैयार कर ली जाय, जिस पर परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा समिति के गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

मद संख्या-12

रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की बैठक दिनांक 30.05.2022, 14.07.2022 एवं 09.11.2022 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

(परिशिष्ट-12)

निर्णय:-

परिषद् सदस्य एवं डीन रिसर्च प्रो० विनीता सिंह द्वारा रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की बैठक दिनांक 30.05.2022, 14.07.2022 एवं 09.11.2022 की संस्तुतियों को विस्तृत रूप से परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर डा० आर०के० भारती द्वारा कहा गया कि दिनांक 09.11.2022 के कार्यवृत्त के विन्दु संख्या-2 में से पंजीकृत शब्द को हटाकर पंजीकृत शोध छात्र/प्री पी०एच-डी० कोर्स पास किये हुये छात्र जोड़ा जाय तथा कार्यवृत्त के विन्दु संख्या-7 में आर्यभट्ट टीचिंग असिस्टेन्ट के

	<p>सम्बन्ध में प्रति कुलपति प्रो० अजय तनेजा द्वारा प्रकाश डालते हुये आर्यभट्ट योजना को प्रस्तुत किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि आर्यभट्ट योजना में पूर्व में की गयी नियुक्तियाँ Heads की Recommendation के आधार पर ही की गयी है, जिस पर डा० आर०के० भारती द्वारा यह सुझाव दिया गया कि Selection Committee Single Handed न होकर बहुसदस्यीय होना चाहिए, जिस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि Heads की Demand पर बाह्य व्यक्तियों को Selection Committee में रखा जा सकता है, जिस पर बाह्य विशेषज्ञ प्रो० अलका शर्मा द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा तदनुसार आर्यभट्ट टीचिंग असिस्टेंट के चयन हेतु प्रस्तावित/प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। सचिव द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि समिति की संस्तुतियों के आधार पर पी०एच-डी० अर्डिनेन्स तैयार कर शासन को भेजा जायेगा एवं शासन की स्वीकृति के उपरान्त लागू किया जायेगा। उक्त के साथ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की बैठक दिनांक 30.05.2022, 14.07.2022 एवं 09.11.2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p>मद संख्या-13</p> <p>निर्णय:-</p>	<p>नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार परास्नातक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु तैयार किये गये अध्यादेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।</p> <p>(परिशिष्ट-13)</p> <p>उक्त मद पर अध्यादेश गठन समिति एवं परिषद् सदस्य प्रो० एस०पी० सिंह, प्राचार्य, सेंट जॉस कालेज, आगरा द्वारा अध्यादेश को परिषद् के समक्ष विस्तृत रूप से परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें Minor विषय को लेकर परिषद् के सदस्यों के मध्य कुछ शंकायें थी, जिसको स्पष्ट करते हुये प्रो० एस०पी० सिंह द्वारा बताया गया कि सेमिस्टर 1 to 4 एवम् सेमिस्टर 7 to 8 कोई भी Minor विषय Even to Even and Odd to Odd Minor विषय के रूप में लिया जा सकता है।</p> <p>उक्त संशोधन के साथ परास्नातक अध्यादेशों को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा परिषद् सदस्य डा० यशपाल सिंह द्वारा यह सुझाव दिया गया कि चूंकि हमारे विश्वविद्यालय से स्ववित्तपोषित महाविद्यालय भी जुड़े हुये है एवम् उनका कोई भी सदस्य हमारी किसी भी समिति या परिषद् में नहीं होता है। अतः कुछ दिनों बाद उन सबको भी आमंत्रित करते हुये एक Workshop आयोजित की जानी चाहिए, जिससे कि NEP 2020 का Concept उनके समक्ष भी स्पष्ट हो सकें एवम् NEP-2020 को लागू करने में कम से कम समस्याओं का समाना करना पड़े।</p>

<p>मद संख्या-14</p> <p>निर्णय:-</p>	<p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की Guidelines के अर्न्तगत Professor of Practice के सम्बन्ध में विचार विमर्श।</p> <p>(परिशिष्ट-14)</p> <p>उक्त मद को सचिव द्वारा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर डा० आर०के० भारती द्वारा कहा गया कि जब तक यू०जी०सी० की गाइडलाइन्स के सम्बन्ध में कोई शासनादेश प्राप्त नहीं होता है या हमारा विश्वविद्यालय उसे अपने Statutes में समाहित नहीं कर लेता है, तब तक इस पर Implement किया जाना उचित नहीं है, जिस पर परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। अध्यक्ष द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि उक्त गाइडलाइन्स केवल वोकेशनल पाठ्यक्रमों के लिए है, जिस पर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यू०जी०सी० की गाइडलाइन्स सभी विद्या परिषद् सदस्यों को प्रेषित किया जाय एवम् आगामी विद्या परिषद् की बैठक में Discussion हेतु प्रस्तुत किया जाय, जिस पर परिषद् के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गई।</p>
<p>मद संख्या-15</p> <p>निर्णय:-</p>	<p>निदेशक, के०एम०आई० संस्थान, पालीवाल पार्क, आगरा के प्रस्ताव दिनांक 10.10.2022 के आधार पर विदेशी भाषा विभाग में दो शिक्षकों 1. श्री अनुज गर्ग (रशियन भाषा) एवं 2. श्री विशाल शर्मा (जर्मन भाषा) को मात्र शैक्षणिक सत्र 2022-23 अथवा नियमित/संविदा पर नियुक्ति होने तक जो भी पूर्व में हो रू० 500/- प्रति व्याख्यान अथवा अधिकतम रू० 25000/- प्रतिमाह की सीमा के अर्न्तगत शैक्षणिक कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार विमर्श।</p> <p>(परिशिष्ट-15)</p> <p>परिषद् द्वारा उक्त मद पर सम्यक् विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p>मद संख्या-16</p> <p>निर्णय:-</p>	<p>विश्वविद्यालय के आई०क्यू०ए०सी० द्वारा प्रस्तावित संशोधित Vision, Mission के अनुमोदन पर विचार किया जाना।</p> <p>(परिशिष्ट-16)</p> <p>उक्त मद को प्रति कुलपति एवम् निदेशक, आई०क्यू०ए०सी० प्रो० अजय तनेजा द्वारा परिषद् के मध्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय Vision को निम्नवत् पढ़ा:-</p>

"To be quality higher education institution by producing students with knowledge, professional skills and ethical values and remain as a preferred partner to the Industry and Community for their progress and development."

तथा उन्होंने परिषद् को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का Motto पूर्ववत् ही रहेगा:-

"Tanso Maa Jyotirgamay"  
"Lead me form darkness to light"

तदोपरान्त उन्होंने विश्वविद्यालय के तथा उन्होंने विश्वविद्यालय के Mission एवं Core Value से अवगत कराया, जो निम्नवत् है:-

Mission:

- (1) To make our education relevant and excellent.
- (2) To contribute to the advancement of knowledge through research, publication and disseminations.
- (3) To develop student aptitudes and skills as well as make then conscious of their duty to the country and to fellow human beings.
- (4) Promote a culture of excellent in all activities of the University by implementing good practices.

Core Values:

- (1) Academic freedom and flexibility.
- (2) Collegiality and team work.
- (3) Concern for the environment and society.
- (4) Transparency and accountability for all stake holders.

परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से विश्वविद्यालय के Vision, Mission को अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या-17

New Self Financing Course M.Sc. Data Science को सत्र 2022-23 के लिए Institute of Social Science, Paliwal Park Agra से Department of Mathematics, Khandari, Agra में स्थानान्तरित किये जाने पर विचार। (परिशिष्ट-17)

निर्णय:-


प्रो० मीनाक्षी श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया कि समाज विज्ञान संस्थान में आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण M.Sc. Data Science को Mathematics Department में स्थानान्तरित किया गया है, जिस पर प्रो० संजीव शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि सत्र 2022-23 में उक्त पाठ्यक्रम में एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हुआ है। अतः उक्त मद को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

<p>मद संख्या-18</p> <p>निर्णय:-</p>	<p>डा0 प्रदीप कुमार वर्मा, विदेशी भाषा विभाग, के0एम0आई0 पालीवाल पार्क, आगरा के दिनांक 07.11.2022. प्रस्ताव आवासीय इकाई के विभिन्न विभागों में अध्ययनरत् छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक विभाग के वरिष्ठ शिक्षक को समन्वयक के रूप में नियुक्त करने के सम्बन्ध में विचार।</p> <p>(परिशिष्ट-18)</p> <p>परिषद् द्वारा उक्त मद पर सम्यक् विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p>मद संख्या-19</p> <p>निर्णय:-</p>	<p><b>M.Sc. (Seed Technology)</b> का पाठ्यक्रम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।</p> <p>(परिशिष्ट-19)</p> <p>परिषद् द्वारा उक्त मद पर सम्यक् विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
<p><u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद</u></p>	
<p>मद संख्या-1</p> <p>निर्णय:-</p>	<p>रकूल ऑफ लाइफ साइंस, खन्दारी, आगरा <b>Deptt. Of Forestry</b> की एकेडेमिक कमेटी की बैठक दिनांक 09.06.2022 की संस्तुतियाँ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।</p> <p>(परिशिष्ट-1)</p> <p>परिषद् द्वारा <b>Deptt. Of Forestry</b> की संस्तुतियों, जिनके अर्न्तगत <b>NEP-2020</b> के अनुसार <b>M.Sc. Forestry of Revised Ordinance, M.Sc. Forestry</b> का <b>revised</b> पाठ्यक्रम एवं <b>Minor Subject</b> हेतु पाठ्यक्रम को अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>

कृषि संकायाध्यक्ष डा0 के0पी0 सिंह द्वारा अनुरोध किया गया कि Agriculture के Ordinance तैयार करने हेतु कमेटी गठित करने का कष्ट करें, जिस पर सर्व सम्मति से निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया गया:-

- (i) कृषि संकाय के संकायाध्यक्ष।
- (ii) कृषि संकाय के सभी विषयों के संयोजक।

डा0 वीरेन्द्र चौहान द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की सूची, परीक्षा का कैलेंडर बनाकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाय, जिससे पठन पाठन ठीक प्रकार से हो तथा परीक्षाओं का परिणाम भी समय से जारी हो।



अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय सभी से समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध कार्य प्रणाली बनाने के लिए वचनबद्ध है, ताकि छात्रों को अधिकाधिक लाभ हो सकें।

अन्त में अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा बैठक में उपस्थिति सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्त की घोषणा की गई।

कुलसचिव

A. S. P.  
कुलपति